SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

श्रुति

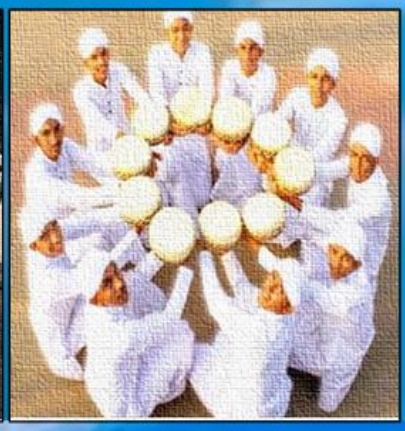

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का कार्यालय, तिरुवनंतपुरम

केरल के लोकप्रिय नृत्य रूप

मार्गम कळी

ओप्पना

चाक्यार कूत्तु

तुळळल

कथकळी

तिरुवातिरक्कळी

दफ मुट्ट

मोहिनियाट्टम

तेय्यम

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

श्रुति

हिंदी गृह पत्रिका

(36वां अंक)

(01 अक्तूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक)

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का कार्यालय,
तिरुवनंतपुरम – 695001

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

(सदैव ऊर्जावान : निरंतर प्रयासरत)

राजभाषा प्रतिज्ञा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम, केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से प्रशिक्षण और प्राइज़ से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाये रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे; अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्द्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

जय राजभाषा !

जय हिंद !

पत्रिका परिवार

मुख्य संरक्षक

सुश्री अतूर्वा सिन्हा

महालेखाकार

मुख्य संपादक

श्री बाषा मोहम्मद बी

उप महालेखाकार (प्रशासन)

परामर्शदात्री समिति

श्री एन दिनकरन
वरिष्ठ उप महालेखाकार

सुश्री उषा एस पिल्लई
उप महालेखाकार

सुश्री हेमलता रविशंकर
उप महालेखाकार

संपादक मंडल

सुश्री के आर रोहिणी
सहायक निदेशक (राजभाषा), संपादक

सुश्री एस संध्या
सहायक निदेशक (राजभाषा)

सुश्री गेलीकृष्णा सी जी
सहायक निदेशक (राजभाषा)

संपादन सहयोग

सुश्री निधि लक्ष्मी
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

श्री अंकित पाल
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

सुश्री प्रज्ञा मौर्या
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

सुश्री रेणुका जोशी
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

रचनाकारों के विचारों से संपादक मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

रचनाओं की मौलिकता के लिए रचनाकार स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय-वस्तु	रचनाकार का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	संरक्षक की कलम से.....		6
2.	मुख्य संपादक की कलम से.....		7
3.	आपके पत्र		8
4.	चतुर्थ ऑडिट दिवस		13
5.	सीएजी पुरस्कार 2024		17
6.	स्वास्थ्य ही जीवन है	विनीत कुमार, सहायक लेखा अधिकारी	19
7.	परवरिश	पारस कुमार शिवा, सहायक लेखा अधिकारी	21
8.	लग्ज़री	वीरेंद्र कुमार, सहायक लेखा अधिकारी	22
9.	चंद्रनीर	पारस कुमार शिवा, सहायक लेखा अधिकारी	24
10.	एक भारत, श्रेष्ठ भारत	श्रुति शर्मा, सहायक लेखा अधिकारी	25
11.	हिंदी पखवाड़ा समारोह 2024 – प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम		27
12.	हिंदी पखवाड़ा समारोह 2024 – शाखा कार्यालय		32
13.	राजभाषा अधिनियम 1963		39
14.	हाँ, हम बिहारी हैं	राहुल कुमार राय, सहायक लेखा अधिकारी	43
15.	01.10.2024 से 31.03.2025 के दौरान सेवानिवृत्ति		45
16.	मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था	अंकित पाल, कनिष्ठ अनुवादक	47
17.	भगत के वश में हैं भगवान	रेणुका जोशी, कनिष्ठ अनुवादक	51
18.	माहेश्वर सूत्र	के आर रोहिणी, सहायक निदेशक (राजभाषा)	54
19.	गजानन माधव मुक्तिबोध	हिंदी कक्ष	54
20.	हिंदी भाषा पर सुविचार		62

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सुश्री अतूर्वा सिन्हा, आईएएएस
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल

संरक्षक की कलम से.....

कार्यालय की गृह पत्रिका 'श्रुति' के 36वें अंक का प्रकाशन अत्यंत हर्ष और उत्साह का विषय है। जहां एक ओर पत्रिका ने कार्यालय की सृजनात्मक प्रतिभाओं को एक विशिष्ट मंच उपलब्ध कराया है, वहीं हर बार की तरह इस बार भी राजभाषा हिंदी के प्रचार- प्रसार के लिए यह एक सशक्त माध्यम साबित हुई है।

अपनी रचनाओं यथा लेखों, कहानियों, कविताओं आदि विभिन्न साहित्यिक विधाओं से पत्रिका को जीवंत और संपन्न बनाने वाले पदाधिकारियों की सृजनशीलता सराहनीय है। आशा है कि कार्यालय के पदाधिकारियों द्वारा जिस उत्साह से पत्रिका हेतु सृजनात्मक कार्य किया गया है उसी उत्साह से कार्यालयीन कार्य में भी हिंदी का प्रगामी प्रयोग करते हुए राजभाषा का संवर्धन किया जाएगा।

पत्रिका के प्रकाशन में महती भूमिका निभाने वाला संपादक मंडल विशेष बधाई का पात्र है। आशा है कि पत्रिका की गुणवत्ता में निरंतर प्रगति होती रहेगी। अपने सुझावों, प्रतिक्रियाओं आदि से मार्गदर्शन कर पत्रिका को सुपाठ्य एवं सुरुचिपूर्ण बनाने में आपका सहयोग अपेक्षित है।

(अतूर्वा सिन्हा)
महालेखाकार

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

श्री बाषा मोहम्मद बी, आईएएएस
उप महालेखाकार (प्रशासन)

मुख्य संपादक की कलम से.....

कार्यालय की गृह पत्रिका "श्रुति' के नवीनतम-36वें अंक का प्रकाशन इस कार्यालय के लिए गौरव का विषय है। 'ग' क्षेत्र में स्थापित होने के बावजूद हमारे कार्यालय की गृह पत्रिका के अनवरत् प्रकाशन का यह 36वां पड़ाव है। कार्यालयीन कार्यों और निजी जीवन की व्यस्तताओं में रत पदाधिकारियों ने जिस श्रम और उत्साह से अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है वह प्रशंसनीय है । रचनाओं की विधाओं में विविधता और हिंदी व हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के पदाधिकारियों की सहभागिता उल्लेखनीय है। संपादक मंडल ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सराहनीय तरीके से किया है। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं की अपेक्षाओं के साथ यह अंक आपके सम्मुख प्रस्तुत है।

(बाषा मोहम्मद बी)
उप महालेखाकार (प्रशासन)

आपके पत्र...

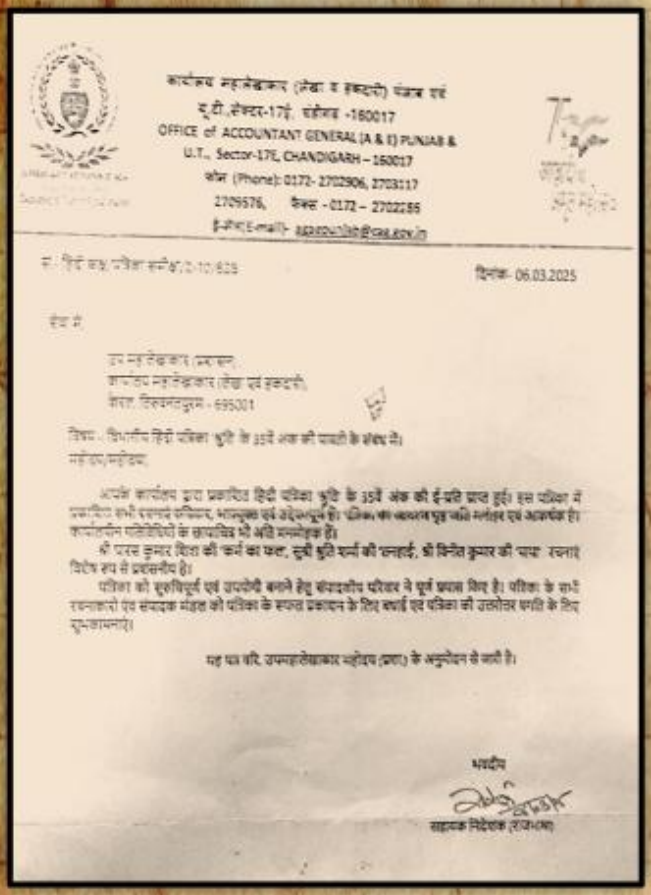

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) पंजाब एवं
यू.टी.,सेक्टर-17ई, चंडीगढ़ -160017
OFFICE of ACCOUNTANT GENERAL (A & E) PUNJAB &
U.T., Sector-17E, CHANDIGARH – 160017
फोन (Phone): 0172- 2702906, 2703117
2709576, फैक्स -0172 – 2702285
ई-मेल/E-mail- agaepunjab@cag.gov.in

सं.: हिंदी कक्ष/पत्रिका समीक्षा/2-10/825 दिनांक- 06.03.2025

सेवा में,

उप महालेखाकार (प्रशासन),
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
केरल, तिरुवनंतपुरम - 695001

विषय - विभागीय हिंदी पत्रिका 'श्रुति' के 35वें अंक की पावती के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिका श्रुति के 35वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई। इस पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं रुचिकर, भावपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण है। पत्रिका का आवरण पृष्ठ अति मनोहर एवं आकर्षक है। कार्यालयीन गतिविधियों के छायाचित्र भी अति मनमोहक है।

श्री पारस कुमार शिवा की 'कर्म का फल', सुश्री श्रुति शर्मा की 'तन्हाई', श्री विनीत कुमार की 'माया' रचनाएं विशेष रूप से प्रशंसनीय है।

पत्रिका को सुरुचिपूर्ण एवं उपयोगी बनाने हेतु संपादकीय परिवार ने पूर्ण प्रयास किए है। पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएं।

यह पत्र वरि. उपमहालेखाकार महोदय (प्रशा.) के अनुमोदन से जारी है।

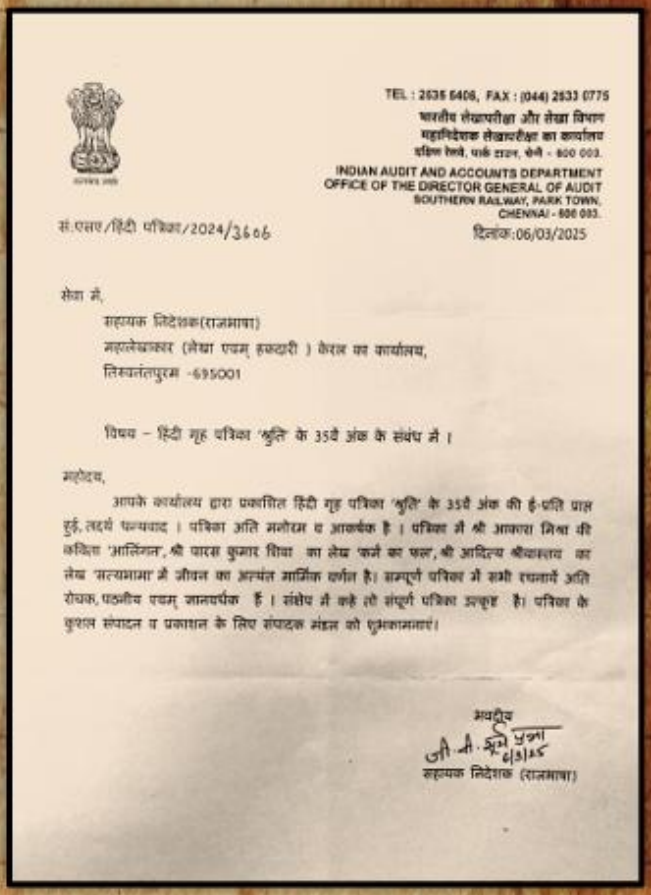

भवदीय

सहायक निदेशक (राजभाषा)

TEL : 2535 5408, FAX : (044) 2533 0775
भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय
दक्षिण रेलवे, पार्क टाउन, चेन्नै - 600 003.
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
SOUTHERN RAILWAY, PARK TOWN,
CHENNAI - 600 003.

सं.एसए/हिंदी पत्रिका/2024/3606 दिनांक:06/03/2025

सेवा में,

सहायक निदेशक(राजभाषा)
महालेखाकार (लेखा एवम् हकदारी) केरल का कार्यालय,
तिरुवनंतपुरम -695001

विषय – हिंदी गृह पत्रिका 'श्रुति' के 35वें अंक के संबंध में ।

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिंदी गृह पत्रिका 'श्रुति' के 35वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, तदर्थ धन्यवाद । पत्रिका अति मनोरम व आकर्षक है । पत्रिका में श्री आकाश मिश्रा की कविता 'आलिंगन', श्री पारस कुमार शिवा का लेख 'कर्म का फल', श्री आदित्य श्रीवास्तव का लेख 'सत्यभामा' में जीवन का अत्यंत मार्मिक वर्णन है। सम्पूर्ण पत्रिका में सभी रचनाएँ अति रोचक, पठनीय एवम् ज्ञानवर्धक हैं । संक्षेप में कहे तो संपूर्ण पत्रिका उत्कृष्ट है। पत्रिका के कुशल संपादन व प्रकाशन के लिए संपादक मंडल को शुभकामनाएं।

भवदीय

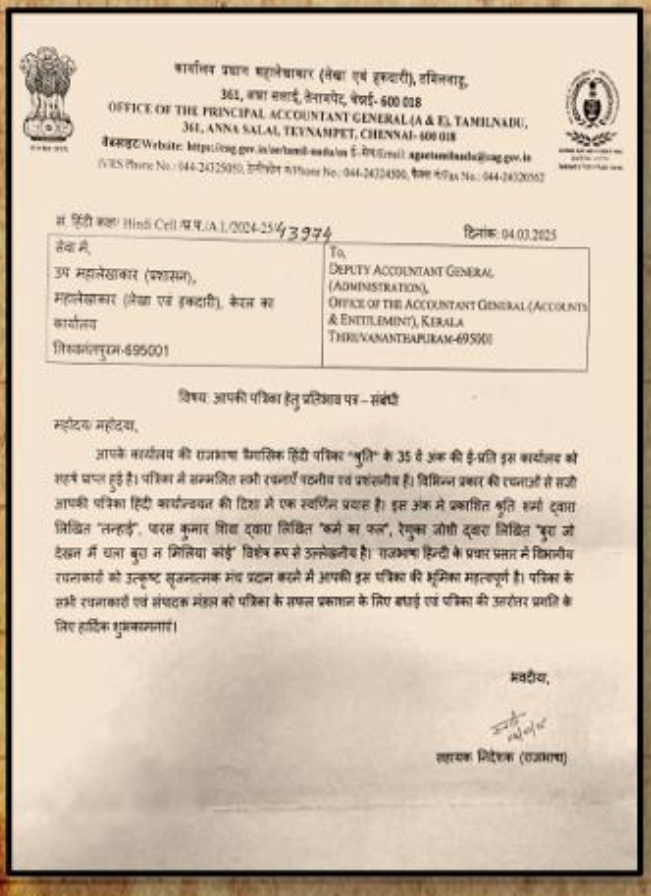

जी.बी. श्रीप्रज्ञा 6/3/25

सहायक निदेशक (राजभाषा)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), तमिलनाडु,
361, अण्णा सलाई, तेनाम्पेट, चेन्नई- 600 018
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A & E), TAMILNADU,
361, ANNA SALAI, TEYNAMPET, CHENNAI- 600 018
वेबसाइट/Website: https://cag.gov.in/ae/tamil-nadu/en ई-मेल/Email: agaetamilnadu@cag.gov.in
IVRS Phone No.: 044-24325050, टेलीफोन नं/Phone No.: 044-24324500, फैक्स नं/Fax No.: 044-24320562

सं. हिंदी कक्ष/ Hindi Cell /प.प./A.1./2024-25/43974 दिनांक: 04.03.2025

सेवा में,	To,
उप महालेखाकार (प्रशासन), महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का कार्यालय तिरुवनंतपुरम-695001	DEPUTY ACCOUNTANT GENERAL (ADMINISTRATION), OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (ACCOUNTS & ENTITLEMENT), KERALA THIRUVANANTHAPURAM-695001

विषय: आपकी पत्रिका हेतु प्रतिभाव पत्र – संबंधी

महोदय/ महोदया,

आपके कार्यालय की राजभाषा त्रैमासिक हिंदी पत्रिका "श्रुति" के 35 वें अंक की ई-प्रति इस कार्यालय को सहर्ष प्राप्त हुई है। पत्रिका में सम्मलित सभी रचनाएँ पठनीय एवं प्रशंसनीय है। विभिन्न प्रकार की रचनाओं से सजी आपकी पत्रिका हिंदी कार्यान्वयन की दिशा में एक स्वर्णिम प्रयास है। इस अंक में प्रकाशित श्रुति शर्मा द्वारा लिखित "तन्हाई", परस कुमार शिवा द्वारा लिखित "कर्म का फल", रेणुका जोशी द्वारा लिखित "बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई" विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार में विभागीय रचनाकारों को उत्कृष्ट सृजनात्मक मंच प्रदान करने में आपकी इस पत्रिका की भूमिका महत्वपूर्ण है। पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय,

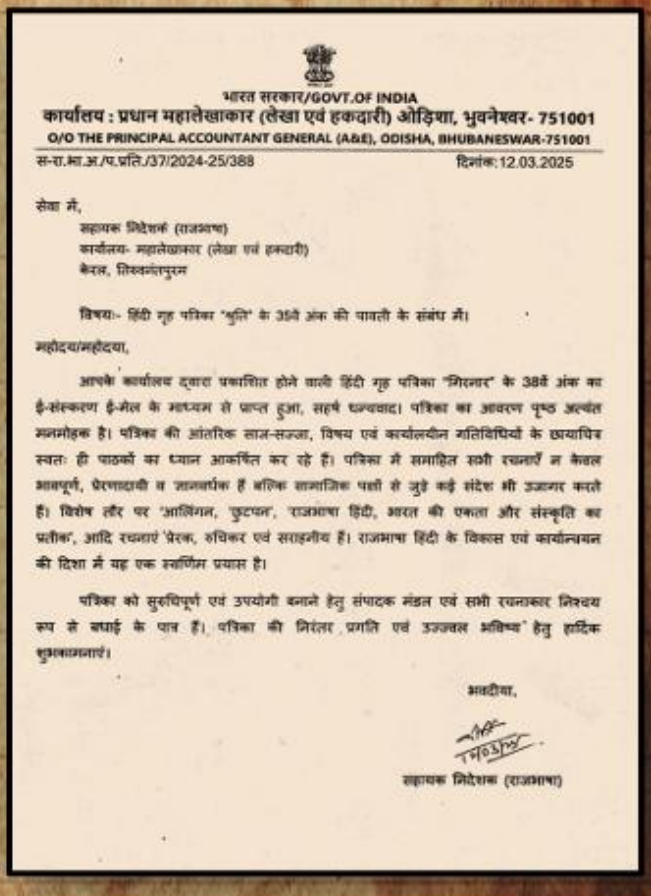

सहायक निदेशक (राजभाषा)

भारत सरकार/GOVT.OF INDIA
कार्यालय : प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओड़िशा, भुवनेश्वर- 751001
O/O THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), ODISHA, BHUBANESWAR-751001

स-रा.भा.अ./प.प्रति./37/2024-25/388 दिनांक:12.03.2025

सेवा में,

सहायक निदेशक (राजभाषा)
कार्यालय- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
केरल, तिरुवनंतपुरम

विषय- हिंदी गृह पत्रिका 'श्रुति' के 35वें अंक की पावती के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित होने वाली हिंदी गृह पत्रिका "गिरनार" के 38वें अंक का ई-संस्करण ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ, सहर्ष धन्यवाद। पत्रिका का आवरण पृष्ठ अत्यंत मनमोहक है। पत्रिका की आंतरिक साज-सज्जा, विषय एवं कार्यालयीन गतिविधियों के छायाचित्र स्वतः ही पाठकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। पत्रिका में समाहित सभी रचनाएँ न केवल भावपूर्ण, प्रेरणादायी व ज्ञानवर्धक हैं बल्कि सामाजिक पक्षों से जुड़े कई संदेश भी उजागर करते हैं। विशेष तौर पर 'आलिंगन, 'छुटपन', 'राजभाषा हिंदी, भारत की एकता और संस्कृति का प्रतीक', आदि रचनाएं प्रेरक, रुचिकर एवं सराहनीय हैं। राजभाषा हिंदी के विकास एवं कार्यान्वयन की दिशा में यह एक स्वर्णिम प्रयास है।

पत्रिका को सुरुचिपूर्ण एवं उपयोगी बनाने हेतु संपादक मंडल एवं सभी रचनाकार निश्चय रूप से बधाई के पात्र हैं। पत्रिका की निरंतर प्रगति एवं उज्ज्वल भविष्य" हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीया,

17/03/25

सहायक निदेशक (राजभाषा)

आपके पत्र...

ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ (ಲೆ. ಮತ್ತು ಹ.) ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ
महालेखाकार (लेखा एवं हक) का कार्यालय, कर्नाटक,
भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
Office of the Accountant General (A & E), Karnataka
Indian Audit & Accounts Department

सं. म.ले (ले.व ह.)/हि.क/प.प./2024-25/199 दिनांक : 07.03.2025

सेवा में,

सहायक निदेशक (राजभाषा)
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) केरल का कार्यालय ,
तिरुवनंतपुरम – 695001

विषय: "श्रुति" के 35वें अंक की पावती के संबंध में ।

महोदय /महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु प्रकाशित होने वाली कार्यालयीन हिंदी गृह पत्रिका **"श्रुति" के 35वें अंक की** प्रति प्राप्त हुई। पत्रिका का आवरण पृष्ठ एवं साज-सज्जा अत्यंत आकर्षक है। पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं उत्कृष्ट एवं ज्ञानवर्धक है। विशेषकर श्री पारस कुमार सिंह की कविता **'तनहाई'**, श्री एम टी विजयन का लेख **'प्रकृति और मनुष्य'**, श्री वीरेन्द कुमार का लेख **'छुट्टियाँ'** इत्यादि प्रशंसनीय है। पत्रिका में सम्मिलित सभी रचनाएं लेखकों की सर्जनात्मकता एवं हिंदी के प्रति उनकी रुचि को दर्शाती है।

सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

भवदीय

(उदय प्रताप सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

P.B. No. 5329/5369, PARK HOUSE ROAD, BENGALURU 560 001.
Tel: 080-22379335 Fax: 080-22264691
https://cag.gov.in/ae/karnataka/en

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा का कार्यालय , चेन्नै
Office of the Principal Director of Commercial Audit, Chennai
इंडियन ऑयल भवन, स्तर -2 , 139, महात्मा गाँधी मार्ग, चेन्नै - 600034
Indian Oil Bhavan, Level- 2, 139, Mahatma Gandhi Road, Chennai - 600034
Tel: 044-28330147 Fax: 044-28330142/145, e-mail: pdcachennai@cag.gov.in

सं.प्रनिवलेप/चेन्नै/7-46/2023-24/607 दिनांक:07.03.2025

सेवा में,
सहायक निदेशक/राभा
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
केरल का कार्यालय,
तिरुवनंतपुरम - 695001

विषय: राजभाषा हिंदी पत्रिका "श्रुति" की प्राप्ति के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका "श्रुति" का 35 वां अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका की सभी रचनाएं पठनीय है। हिंदी कक्ष की रचना भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी एवं राजभाषा हिंदी की विकास यात्रा, पाठकों को हिंदी का महत्व और अधिक समझने में मदद करती है। कविताओं में छुटपन कविता मनमोहक है। अन्य रचनाएं जैसे कोट्टयम के बैक्वॉटर, जेड प्लांट: सौभाग्य और सुंदरता का प्रतीक, लाइफस्टाइल डिसॉर्डर और जीवनशैली में बदलाव:स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम ज्ञानवर्धक है। पत्रिका की सभी रचनाएं उत्कृष्ट है। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीया

सहायक निदेशक/राभा

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय (केन्द्रीय), मुंबई
O/o the PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL), MUMBAI
C-25, Audit Bhavan, Bandra Kurla Complex, Mumbai- 400 051
e-mail – pdacentralmumbai@cag.gov.in

सं. प्र.नि.ले.प.(कें.)/रा.भा.अ./पत्रिका समीक्षा/ 1904120/2025 दिनांक 11-03-2025
सेवा में,
उपमहालेखाकार,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का कार्यालय
तिरुवनंतपुरम-695001
विषय: कार्यालयीन पत्रिका "श्रुति" के 35वें अंक की समीक्षा संबंधी।
महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा हिंदी ई- पत्रिका "श्रुति" के 34वें अंक प्राप्त हुआ। सहर्ष धन्यवाद। इस अंक के आवरण पृष्ठ, साज-सज्जा एवं अन्य कार्यालयीन गतिविधियों से संबंधित छायाचित्र मनोरम एवं आकर्षक है। इस पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएं उत्कृष्ट, मनमोहक एवं रोचक है। निम्नलिखित रचनाकारों की रचनाएं विशेष उल्लेखनीय एवं सराहनीय है।

क्र.सं.	रचनाकार	रचनाएं
1.	श्री आकाश मिश्र	आलिंगन
2.	सुश्री डैलम्मा राजू	राजभाषा हिंदी भारत की एकता और संस्कृति का प्रतीक
3.	सुश्री स्वाति के.	राजभाषा हीरक जयंती -विगत 75 वर्षों में राजभाषा, जनभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की प्रगति
4.	सुश्री रेणुका जोशी	बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई
5.	श्री पारस कुमार सिंह	तनहाई, कर्म का फल
6.	सुश्री श्रुति शर्मा	अक्सर दो पंक्तियों से मैं अपनी बात कहती हूं , तनहाई

सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु बधाई एवं पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

भवदीया

SWAPNA CARLTON PINHEIRO
व.ले.प.अ./राजभाषा

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, झारखण्ड, राँची
Office of the Principal Accountant General (Audit),
Jharkhand, Ranchi

पत्रांक:- रा.भा.अनु./ले.प./पत्रिका पावती/2024-25/230 दिनांक: 11-03-2025

सेवा में,
सहायक निदेशक (राजभाषा)
राजभाषा अनुभाग,
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल

विषय: हिंदी गृह-पत्रिका "श्रुति" का 35 वाँ अंक के पावती के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक गृह पत्रिका "श्रुति" का 35 वाँ अंक का ई-संस्करण प्राप्त हुआ। पत्रिका का मुख्य पृष्ठ एवं मुद्रण बहुत ही सुंदर है। इस पत्रिका में संकलित सभी रचनाएँ रोचक एवं ज्ञानवर्धक है, श्री जीनु अब्राहम की "कोट्टायम के बैकवाटर- एक स्वर्गिक अनुभूति", श्री विनीत कुमार की "पापा", श्री वीरेंदर कुमार की "छुटियाँ" इत्यादि।

पत्रिका के सफल संपादन एवं प्रकाशन हेतु सम्पादक मंडल को हार्दिक बधाई तथा पत्रिका के उज्जवल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय,

सहायक निदेशक(राजभाषा)

दूरभाष/Telephone: 0651-2411670/2413690 फैक्स/Fax: 0651-2412517/2413701 ई-मेल/e-mail: agaujharkhand@cag.gov.in

आपके पत्र...

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)का कार्यालय
केरल, तिरुवनंतपुरम - 695 001

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-II)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

सं.लेप.II/हिंदी कक्ष/पत्रिका/2024-25 दिनांक11-03-2025

सेवा में,
सहायक निदेशक (राजभाषा)
महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय
तिरुवनंतपुरम - 695001

विषय :- पत्रिका की पावती – बाबत्

महोदय,

आपके कार्यालय की अर्ध-वार्षिक हिंदी गृह पत्रिका "श्रुति" के 35वें अंक के ई-संस्करण की प्रति प्राप्त हुई, एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका का कलेवर व रूपरेखा अत्यधिक आकर्षक है और संपूर्ण सामग्री उत्कृष्ट और ज्ञानप्रद है। विशेषकर श्री पारस कुमार शिवा का लेख 'कर्म का फल', श्री विनीत कुमार का लेख 'पापा', श्रीमती शांति के का लेख 'कर्म का फल' तथा सुश्री श्रुति शर्मा की कविता 'तनहाई' एवं श्री वीरेंद्र कुमार की कविता 'छुटपन' विशेष रूप से प्रशंसनीय हैं। श्री जिनु अब्रहाम द्वारा लिखित लेख 'कोट्टयम के बैकवाटर: एक स्वर्गिक अनुभूति' में कोट्टयम की प्राकृतिक खूबसूरती का मनमोहक वर्णन हैं। पत्रिका की सभी रचनाएँ लेखकों की सृजनात्मकता एवं हिंदी के प्रति रुचि को दर्शाती हैं। सार्थक सामग्री के चयन हेतु बधाई।

पत्रिका को सुरुचिपूर्ण एवं उपयोगी बनाने के लिए संपादकीय मंडल को बधाई एवं पत्रिका के अगले अंक के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ।

भवदीया,

सहायक निदेशक(राजभाषा)

दूरभाष / Telephone :0471 – 2330899 ई मेल / e-mail : agnkerala2@cag.gov.in फैक्स / Fax – 0471-2332022
वेबसाइट / Website : https://cag.gov.in/ag2/kerala/en

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) म.प्र.
53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल- 462011

क.हि.क./फा-7/ जावक - 115 दिनांक 12.03.2025

प्रति,
सहायक निदेशक (राजभाषा)
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का कार्यालय
तिरुवनंतपुरम-695001

विषय : हिन्दी गृह पत्रिका "श्रुति" के 35वें अंक की पावती बाबत।
संदर्भ : पत्र सं. हिं.क./ही.गृ.प./ श्रुति -2024-25/ दिनांक 28.02.2025।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के साथ आपके कार्यालय द्वारा "श्रुति" के 35वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, तदर्थ धन्यवाद। पत्रिका में सभी रचनाएँ प्रशंसनीय है विशेष तौर पर राजभाषा हिन्दी की विकास यात्रा, छुटपन, अकसर दो पंक्तियों से मैं अपनी बातें कहती हूँ, कर्म का फल, कर्म का फल, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, आदि रचनाएँ सारगर्भित एवं सराहनीय हैं।

पत्रिका की साज-सज्जा उत्तम हैं। कार्यालयीन चित्रों ने पत्रिका की सुंदरता को और निखारा है। पत्रिका के कुशल तथा सफल संपादन हेतु संपादक मण्डल को हार्दिक बधाई। पत्रिका के निरंतर उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएं।

सहायक निदेशक (राजभाषा)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
पंजाब, चंडीगढ़-160017
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) PUNJAB,
CHANDIGARH-160017
फोन : 0172-2783168, फैक्स 0172-2703149
Email-agaupunjab@cag.gov.in

क्रमांक-हिं.क./हिंदीपत्रिकासमीक्षा/2024-25/I/903421/2025 दिनांक:11-03-2025

सेवा में

उप महालेखाकार(प्रशासन)
कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) केरल,
तिरुवनंतपुरम695001

विषय:- हिंदी पत्रिका 'श्रुति' के 35वें अंक की समीक्षा।

महोदय,

आपके कार्यालय से प्रकाशित "श्रुति" के 35वें अंक की प्रति प्राप्त हुई, तदर्थ धन्यवाद। पत्रिका में सम्मिलित सभी रचनाएँ सुपाठ्य, बोधगम्य तथा उच्चकोटि की हैं विशेषकर सुश्री शांति के की "राजभाषा हीरक जयंती-विगत 75वर्षों में राजभाषा, जनभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की प्रगति, श्री वीरेंद्र कुमार की "छुटपन", सुश्री रेणुका जोशी की "बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोय" एवं श्री आदित्य श्रीवास्तव की "सत्यभामा" आदि रचनाएँ अत्यंत मनोहर हैं। पत्रिका की साज-सज्जा एवं विषयवस्तु का सुंदर प्रस्तुतिकरण अत्यंत प्रशंसनीय है। राजभाषा हिंदी की प्रगति की दिशा में पत्रिका का यह अंक एक सराहनीय प्रयास है।

पत्रिका के रचनाकारों एवं संपादक मंडल को सफल संपादन तथा प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई। पत्रिका के निरंतर उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएं

भवदीया

EKTA
(हिंदी अधिकारी)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा,
प्लॉट नं. 5, सैक्टर 33-बी,
दक्षिण मार्ग, चण्डीगढ़-160 020
OFFICE OF THE
Pr. ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), HARYANA
PLOT NO.5, SECTOR 33-B,
DAKSHIN MARG, CHANDIGARH-160 020

संख्या: हिंदी कक्ष/पत्रिका/प्रतिक्रिया/2024-25/५।६ दिनांक/Dated: 3.02.2025

सेवा में,
सहायक निदेशक (राजभाषा)
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
केरल का कार्यालय, तिरुवनंतपुरम-695001

विषय - हिंदी पत्रिका 'श्रुति' का अवेक्षण।

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका 'श्रुति' की ई-प्रति प्राप्त हुई है। एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका की साज-सज्जा और विषयों का प्रस्तुतीकरण अत्यंत सुन्दर है। पत्रिका की सभी रचनायें सराहनीय और संग्रहणीय है, विशेषकर कर्म का फल, ग्रेड प्लांट- सौभाग्य और सुन्दरता का प्रतीक, प्रकृति और मनुष्य, छुटपन आदि। पत्रिका के माध्यम से राजभाषा हिंदी के उत्थान हेतु आपके द्वारा किया गया प्रयास सराहनीय है।

आशा है पत्रिका की गुणवत्ता एवं रचनात्मकता में उत्तरोत्तर प्रगति जारी रहेगी। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य और आगामी अंक के लिए बहुत-बहुत शुभकामनायें।

भवदीय,

सहायक निदेशक (राजभाषा)

आपके पत्र...

आपके पत्र...

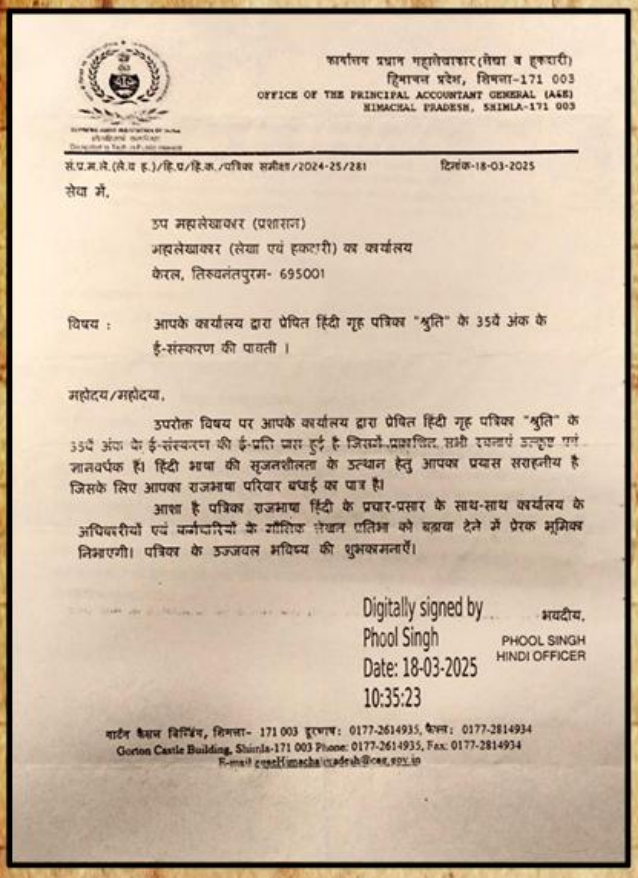

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171 003
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 003

सं.प्र.म.ले.(ले.व ह.)/हि.प./हि.क./पत्रिका समीक्षा/2024-25/281 दिनांक-18-03-2025

सेवा में,

उप महालेखाकार (प्रशासन)
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय
केरल, तिरुवनंतपुरम- 695001

विषय : आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित हिंदी गृह पत्रिका "श्रुति" के 35वें अंक के ई-संस्करण की पावती ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित हिंदी गृह पत्रिका "श्रुति" के 35वें अंक के ई-संस्करण की ई-प्रति प्राप्त हुई है जिसमें प्रकाशित सभी रचनाएं उत्कृष्ट एवं ज्ञानवर्धक हैं। हिंदी भाषा की सृजनशीलता के उत्थान हेतु आपका प्रयास सराहनीय है जिसके लिए आपका राजभाषा परिवार बधाई का पात्र है।

आशा है पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मौलिक लेखन प्रतिभा को बढ़ावा देने में प्रेरक भूमिका निभाएगी। पत्रिका के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ।

Digitally signed by Phool Singh
Date: 18-03-2025 10:35:23

भवदीय,
PHOOL SINGH
HINDI OFFICER

गॉर्टन कैसल बिल्डिंग, शिमला- 171 003 दूरभाष: 0177-2614935, फैक्स: 0177-2814934
Gorton Castle Building, Shimla-171 003 Phone: 0177-2614935, Fax: 0177-2814934
E-mail: [illegible]@cag.gov.in

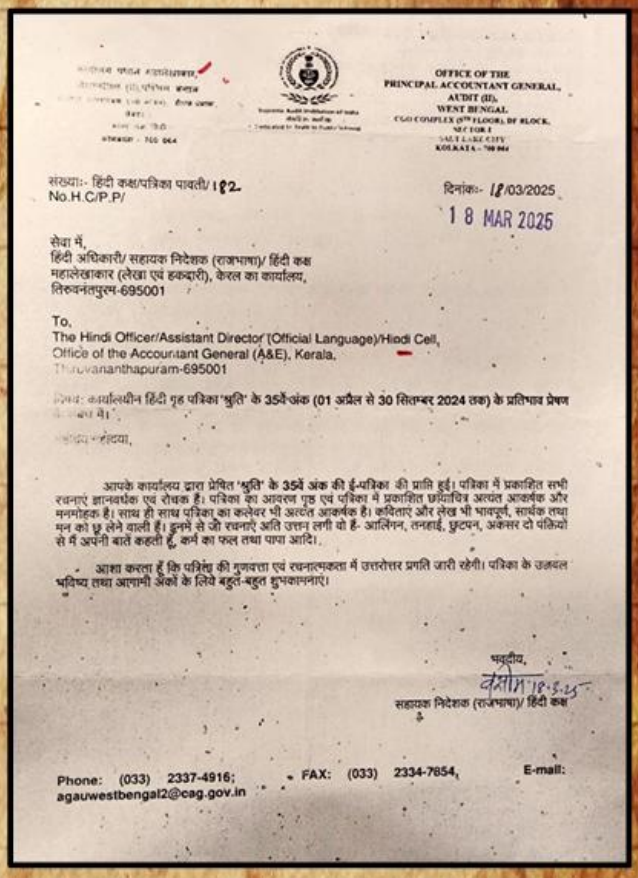

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL, AUDIT (II), WEST BENGAL, CGO COMPLEX (5TH FLOOR), DF BLOCK, SECTOR I, SALT LAKE CITY, KOLKATA - 700 064

संख्या:- हिंदी कक्ष/पत्रिका पावती/182
No.H.C/P.P/

दिनांक:- 18/03/2025
18 MAR 2025

सेवा में,
हिंदी अधिकारी/ सहायक निदेशक (राजभाषा)/ हिंदी कक्ष
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का कार्यालय,
तिरुवनंतपुरम-695001

To,
The Hindi Officer/Assistant Director (Official Language)/Hindi Cell,
Office of the Accountant General (A&E), Kerala,
Thiruvananthapuram-695001

विषय: कार्यालयीन हिंदी गृह पत्रिका 'श्रुति' के 35वें अंक (01 अप्रैल से 30 सितम्बर 2024 तक) के प्रतिभाव प्रेषण के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित 'श्रुति' के 35वें अंक की ई-पत्रिका की प्राप्ति हुई। पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं ज्ञानवर्धक एवं रोचक हैं। पत्रिका का आवरण पृष्ठ एवं पत्रिका में प्रकाशित छायाचित्र अत्यंत आकर्षक और मनमोहक है। साथ ही साथ पत्रिका का कलेवर भी अत्यंत आकर्षक है। कविताएं और लेख भी भावपूर्ण, सार्थक तथा मन को छू लेने वाली हैं। इनमें से जो रचनाएं अति उत्तम लगी वो हैं- आलिंगन, तनहाई, छुटपन, अक्सर दो पंक्तियों से मैं अपनी बातें कहती हूँ, कर्म का फल तथा पापा आदि।

आशा करता हूँ कि पत्रिका की गुणवत्ता एवं रचनात्मकता में उत्तरोत्तर प्रगति जारी रहेगी। पत्रिका के उज्जवल भविष्य तथा आगामी अंकों के लिये बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

भवदीय,
18.3.25
सहायक निदेशक (राजभाषा)/ हिंदी कक्ष

Phone: (033) 2337-4916; FAX: (033) 2334-7854, E-mail: agauwestbengal2@cag.gov.in

---

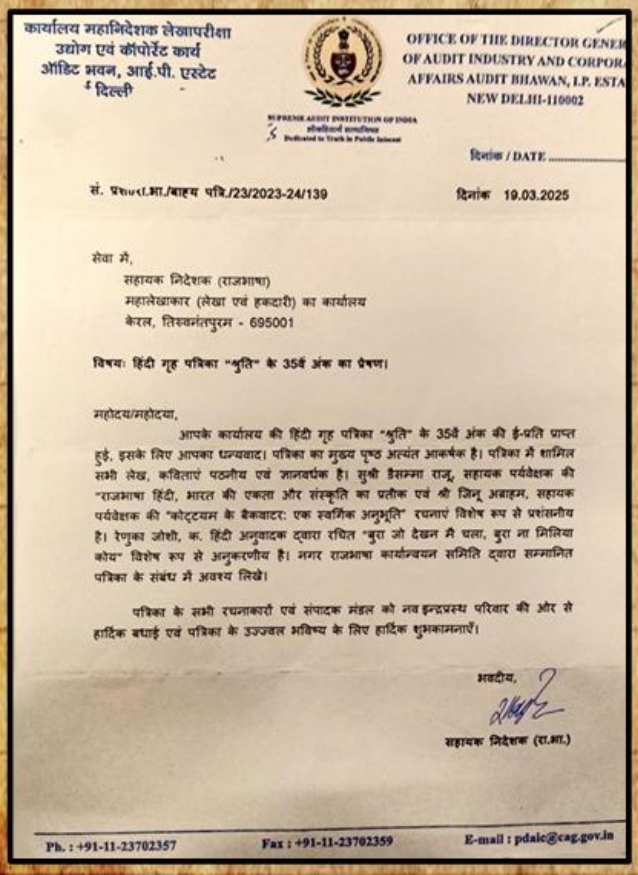

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ऑडिट भवन, आई.पी. एस्टेट
दिल्ली

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS AUDIT BHAWAN, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

दिनांक / DATE ....

सं. प्रशा.रा.भा./बाह्य पत्रि./23/2023-24/139 दिनांक 19.03.2025

सेवा में,
सहायक निदेशक (राजभाषा)
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय
केरल, तिरुवनंतपुरम - 695001

विषय: हिंदी गृह पत्रिका "श्रुति" के 35वें अंक का प्रेषण।

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय की हिंदी गृह पत्रिका "श्रुति" के 35वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, इसके लिए आपका धन्यवाद। पत्रिका का मुख्य पृष्ठ अत्यंत आकर्षक है। पत्रिका में शामिल सभी लेख, कविताएं पठनीय एवं ज्ञानवर्धक है। सुश्री डैसम्मा राजू, सहायक पर्यवेक्षक की "राजभाषा हिंदी, भारत की एकता और संस्कृति का प्रतीक एवं श्री जिनू अब्राहम, सहायक पर्यवेक्षक की "कोट्टयम के बैकवाटर: एक स्वर्गिक अनुभूति" रचनाएं विशेष रूप से प्रशंसनीय है। रेणुका जोशी, क. हिंदी अनुवादक द्वारा रचित "बुरा जो देखन मै चला, बुरा ना मिलिया कोय" विशेष रूप से अनुकरणीय है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा सम्मानित पत्रिका के संबंध में अवश्य लिखे।

पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को नव इन्द्रप्रस्थ परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

भवदीय,
सहायक निदेशक (रा.भा.)

Ph.: +91-11-23702357 Fax: +91-11-23702359 E-mail: pdaic@cag.gov.in

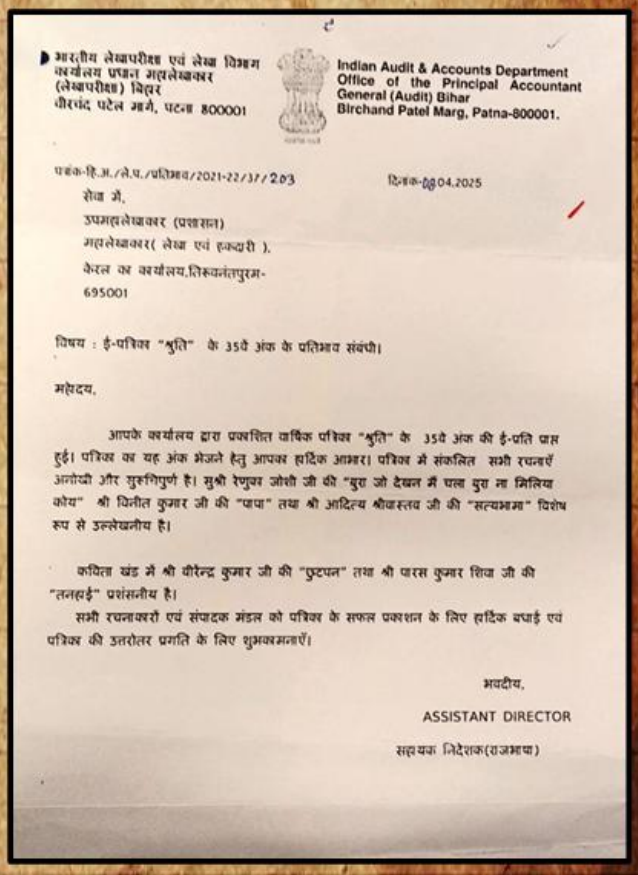

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा) बिहार
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना 800001

Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Accountant General (Audit) Bihar
Birchand Patel Marg, Patna-800001.

पत्रांक-हि.अ./ले.प./प्रतिभाव/2021-22/37/203 दिनांक-08.04.2025

सेवा में,
उपमहालेखाकार (प्रशासन)
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),
केरल का कार्यालय,तिरूवनंतपुरम-
695001

विषय : ई-पत्रिका "श्रुति" के 35वें अंक के प्रतिभाव संबंधी।

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका "श्रुति" के 35वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई। पत्रिका का यह अंक भेजने हेतु आपका हार्दिक आभार। पत्रिका में संकलित सभी रचनाएँ अनोखी और सुरुचिपूर्ण है। सुश्री रेणुका जोशी जी की "बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोय" श्री विनीत कुमार जी की "पापा" तथा श्री आदित्य श्रीवास्तव जी की "सत्यभामा" विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

कविता खंड में श्री वीरेन्द्र कुमार जी की "छुटपन" तथा श्री पारस कुमार शिवा जी की "तनहाई" प्रशंसनीय है।

सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए हार्दिक बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएँ।

भवदीय,
ASSISTANT DIRECTOR
सहायक निदेशक(राजभाषा)

आपके पत्र...

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड का कार्यालय
Office of the Pr. Accountant General (A&E), Jharkhand,
पो. डोरण्डा, राँची- 834002, P.O: Doranda, Ranchi -834002
दूरभाष/Telephone: 0651-2412942, 2412582, फैक्स/Fax: 0651-2411745
ई-मेल/Email : agaejharkhand@cag.gov.in

पत्रांक :- राजभाषा/हिंदी पत्रिका/पावती/I/943272/2025 दिनांक:16-04-2025

सेवा में,
सहायक निदेशक
भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
केरल, का कार्यालय, तिरुवनंतपुरम-695001

विषय : राजभाषा हिंदी पत्रिका 'श्रुति ' के 35 वां अंक की पावती का प्रेषण।

महोदय /महोदया ,

आपके कार्यालय कार्यालयों की हिंदी पत्रिका 'श्रुति 'के 35 वां अंक का ई-संस्करण प्राप्त हुआ। धन्यवाद। पत्रिका का आवरण पृष्ठ एवं आंतरिक साज-सज्जा सुंदर एवं अत्यन्त आकर्षक है। पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएं रोचक, ज्ञानवर्धक एवं सराहनीय है। आशा है कि यह पत्रिका हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं पत्रिका के उत्तरोतर प्रगति की हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय,

सहायक निदेशक (राजभाषा)

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) लखनऊ
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Principal Director of Audit (Central) Lucknow

पत्रांक सं.: प्र.म.नि.(के.)/प्रशासन/रा.भा.हि./फा.सं. 82047/2024-25/I/913217/2025
दिनांक: 21-03-2025

सेवा में,
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/प्रशासन
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का कार्यालय
तिरुवनंतपुरम - 695001

विषय - हिंदी पत्रिका "श्रुति" की ई-प्रति के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित हिंदी पत्रिका "श्रुति" की ई-प्रति प्राप्त हुई है। एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका के माध्यम से राजभाषा हिंदी के सृजनात्मक उत्थान हेतु आपके कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया प्रयास अति सराहनीय है।

पत्रिका का यह अंक साज-सज्जा एवं मुद्रण स्पष्टता के कारण बहुत ही आकर्षक एवं मनोहारी बन पड़ा है साथ ही पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएं प्रशंसनीय हैं विशेष तौर पर "**राजभाषा हिंदी, भारत की एकता और संस्कृति का प्रतीक है**", "**राजभाषा हीरक जयंती-विगत 75 वर्षों में राजभाषा, जनभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की प्रगति**" एवं "**रचनात्मक में कृत्रिम बुधिमत्ता (आर्टिफिश्यल इंटेलिजेंस-एआई)**" सारगर्भित एवं सराहनीय हैं। पत्रिका की साज-सज्जा उत्तम है। कार्यालयीन चित्रों ने पत्रिका की सुंदरता को और निखारा है। पत्रिका के प्रकाशन हेतु संपादक मंडल एवं रचनाकारों का हार्दिक अभिनन्दन एवं शुभकामनाएँ।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /प्रशासन

तृतीय तल, ऑडिट भवन, टी.सी.-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ.प्र.) दूरभाष :0522-2970789, फैक्स :0522-2970780 (प.नि.)
3rd Floor, Audit Bhawan, T.C.-35-V-1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (U.P.) Phone: 0522-2970789, Fax: 0522-2970780 (PD)

चतुर्थ ऑडिट दिवस
१६ नवंबर २०२४
4th AUDIT DIWAS
16 NOVEMBER 2024

माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में आयोजित चौथे लेखापरीक्षा दिवस समारोह का उद्घाटन किया। लेखापरीक्षा दिवस 1860 में भारत के पहले महालेखापरीक्षक की ऐतिहासिक नियुक्ति का प्रतीक है। इस अवसर पर वित्तीय निरीक्षण सुनिश्चित करने और भारत में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए संस्था के योगदान के 164 वर्षों का स्मरण किया गया।

"लेखापरीक्षा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और शासन में सुधार के लिए मार्गदर्शक शक्ति है।"

श्री ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्ष ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संपूर्ण लेखापरीक्षा समुदाय को शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ने सीएजी की समृद्ध विरासत की सराहना की और कहा कि यह अपनी विशिष्टता और विश्वसनीयता के लिए जानी जाने वाली वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में विकसित हुई है। अध्यक्ष ने कहा कि लेखापरीक्षा पिछले कुछ वर्षों में बदल गई है और वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और शासन में सुधार के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति बन गई है। उन्होंने सार्वजनिक धन के उपयोग का मूल्यांकन करने और स्थानीय शासन और सामाजिक कार्यक्रमों की लेखापरीक्षा द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास को चलाने में सीएजी की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। सीएजी की वैश्विक महत्ता को स्वीकार करते हुए, अध्यक्ष ने संस्था को एएसओएसएआई (2024-27) की

अध्यक्षता संभालने और 16वीं एएसओएसएआई सभा की सफल मेजबानी के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत की लेखापरीक्षा पद्धतियां दुनिया भर में एक बेंचमार्क बन गई हैं और भारत की लेखापरीक्षा प्रथाओं का अध्ययन करने और अपनाने के लिए 50 से अधिक देशों के सार्वजनिक अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों की यात्राएं हुई हैं। अध्यक्ष ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उभरती प्रौद्योगिकी को सक्रिय रूप से अपनाने के लिए सीएजी की प्रशंसा की, जिससे इसकी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं मजबूत हुई हैं और पारदर्शिता बढ़ गई है। उन्होंने लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच, रचनात्मक चर्चा को बढ़ावा देने और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में वरिष्ठ विपक्षी सदस्यों की अध्यक्षता वाली संसदीय समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

अध्यक्ष ने वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू के प्रति आभार व्यक्त किया और विगत सीएजी, लेखा परीक्षा अधिकारियों और कर्मचारियों के योगदान को स्वीकार किया जिन्होंने इस संस्थान को अद्वितीय बनाया है। उन्होंने सुशासन और विकसित भारत की ओर राष्ट्र का मार्गदर्शन करने में उनके निरंतर प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया। अध्यक्ष ने पुष्टि की कि सीएजी का काम लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है और विश्व स्तर पर शासन प्रथाओं में उत्कृष्टता को प्रेरित करना जारी रखेगा। उन्होंने सुशासन और विकसित भारत की ओर राष्ट्र का मार्गदर्शन करने में उनके निरंतर प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया। अध्यक्ष ने पुष्टि की कि सीएजी का काम लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है और विश्व स्तर पर शासन प्रथाओं में उत्कृष्टता को प्रेरित करना जारी रखेगा।

"लेखापरीक्षा उभरती प्रौद्योगिकी के साथ सक्रिय रूप से जुडी हुई है।"

श्री गिरीशचंद्र मुर्मू

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने संस्थान की विरासत और दृष्टि के बारे में बात की। उन्होंने अपने मिशन के प्रति सीएजी के समर्पण की पुष्टि करने और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के अवसर के रूप में लेखापरीक्षा दिवस के महत्व पर जोर दिया। श्री मुर्मू ने संस्था द्वारा की गई प्रगति को रेखांकित किया, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को बढ़ाने और जवाबदेही में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला। श्री मुर्मू ने सामाजिक प्रासंगिकता की लेखापरीक्षा पर संस्थान के फोकस के बारे में विस्तार से बताया, जिसका लोगों के जीवन और आजीविका पर असर पड़ता है। उन्होंने संस्थागत तंत्र का उल्लेख किया जिसे लेखापरीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से लेखापरीक्षा प्रयासों को समकालिक बनाने के लिए स्थापित किया गया था। सीएजी ने राजकोट में अंतरराष्ट्रीय स्थानीय शासन लेखापरीक्षा केंद्र (आईसीएएल) की स्थापना के बारे में कहते हुए इसे स्थानीय सरकार की लेखापरीक्षा के लिए क्षमता निर्माण बढ़ाने में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। यह पहल जमीनी

स्तर पर शासन को मजबूत करने और सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के बीच वैश्विक ज्ञान साझा करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सीएजी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सीएजी ने वैश्विक लेखापरीक्षा मंचों में संस्था के नेतृत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और खाद्य और कृषि संगठन जैसे कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बाहरी लेखापरीक्षक के रूप में अपनी भूमिका का हवाला दिया गया। उन्होंने 2024-2027 के कार्यकाल के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन (एएसओएसएआई) की अध्यक्षता संभालने से हासिल किए गए महत्वपूर्ण मील के पत्थर का उल्लेख किया। श्री मुर्मू ने लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने ऑडिट प्रक्रिया स्वचालन के लिए अंत-से-अंत उद्यम-व्यापी सू.प्रौ. प्रणाली (एंड-टू-एंड एंटरप्राइज़-वाइड आईटी प्रणाली) का उल्लेख किया जिसे वन आईएएडी वन सिस्टम (ओआईओएस) कहा जाता है। उन्होंने उभरती प्रौद्योगिकी जैसे एआई और डेटा के साथ संस्थान के सक्रिय जुड़ाव को एक विकसित परिदृश्य में रेखांकित किया। उन्होंने डेटा प्रबंधन एवं विश्लेषिकी केंद्र पर भी गर्व व्यक्त किया, जो वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के साथ क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से सीएजी की वैश्विक मान्यता को प्रदर्शित करते हुए मार्गदर्शन केंद्र और अग्रणी अनुसंधान सुविधा दोनों के रूप में कार्य करता है। अपने 41,000 मजबूत कार्यबल की ताकत को पहचानते हुए, साई (एसएआई) इंडिया अपने मिशन में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक लेखापरीक्षा और लेखा में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए अपने पुरस्कारों के माध्यम से उत्कृष्ट योगदान का जश्न मनाता है।

लोकसभा अध्यक्ष और सीएजी दोनों ने राष्ट्र निर्माण और शासन में संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका को दोहराया।

ऑडिट दिवस 2024 के उपलक्ष्य में केरल स्थित लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के कार्यालयों द्वारा ऑडिट सप्ताह मनाया गया। इस सिलसिले में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

22 नवंबर 2024 को पूर्वाह्न 10.00 बजे ऑडिट सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। प्रार्थना के साथ समारोह का शुभारंभ हुआ। **डॉ डी अनीष आईएएएस**, वरिष्ठ उप महालेखाकार ने सभा का स्वागत किया। **सुश्री अतूर्वा सिन्हा आईएएएस**, महालेखाकार (ले व ह) एवं **सुश्री प्रीति अब्राहम आईएएएस**, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सभा को संबोधित किया गया। **केरल सरकार की मुख्य सचिव सुश्री शारदा मुरलीधरन, आईएएस** उक्त समारोह की मुख्य अतिथि थी।

सुश्री प्रीति अब्राहम, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), सुश्री शारदा मुरलीधरन, मुख्य सचिव, केरल सरकार एवं सुश्री अतूर्वा सिन्हा, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

सीएजी पुरस्कार 2024

महालेखाकार (ले व ह), केरल में सामान्य भविष्य निधि डिजिटलीकरण का चरण 3, वर्ष 2024 के सीएजी पुरस्कार श्रेणी-1 के अधीन पुरस्कार के लिए चुना गया। ऑडिट दिवस 2024 के अवसर पर भारत के आदरणीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

पुरस्कृत अधिकारी

1.	सुश्री उषा एस पिल्लई	उप महालेखाकार (निधि)
2.	श्री सुरेश ए	वरिष्ठ लेखा अधिकारी (से.नि.)
3.	श्री श्रीवल्सन एम	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
4.	सुश्री नवमी जे	सहायक लेखा अधिकारी
5.	सुश्री जया प्रसाद	सहायक लेखा अधिकारी
6.	श्री कृष्ण कुमार पी	सहायक पर्यवेक्षक

पुरस्कार विजेता टीम के सदस्य भारत के माननीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं मुख्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ

सुश्री उषा एस पिळळई, उप महालेखाकार

श्री सुरेश ए, वरिष्ठ लेखा अधिकारी

सुश्री जया प्रसाद, सहायक लेखा अधिकारी

सुश्री नवमी जे, सहायक लेखा अधिकारी

श्री कृष्णकुमार पी, सहायक पर्यवेक्षक

'स्वास्थ्य ही धन है'

विनीत कुमार
सहायक लेखा अधिकारी

महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आपका स्वास्थ्य ही आपका असली धन है। स्वास्थ्य मन और शरीर दोनों को जोड़ने वाला सेतु है। दोनों को ही स्वस्थ रखना उज्ज्वल भविष्य के लिए अति आवश्यक है। मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने के लिए हम बहुत से काम कर सकते हैं, जैसे कि योग, कसरत, दौड़-भाग, खेल-कूद, टहलना, स्वस्थ एवं संतुलित आहार आदि। सभी लोगों को अपनी ऊर्जा और रुचि के अनुसार अपने लिए कम से कम कोई एक तरीका तो अपनाना ही चाहिए, जिससे कि हमारा मन और शरीर स्वस्थ रह सके। क्योंकि हमारी उम्र चाहे जो भी हो, इस बात के पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से हमें अधिक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद मिलती है। व्यायाम से कोरोनरी हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।

हम अपनी पसंद का कोई एक शारीरिक व्यायाम वाला खेल खेल सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबाल, टेबल-टेनिस इत्यादि। खेल का महत्व सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की ही सीमा नहीं होता है, बल्कि यह हमारे मनोविज्ञानिक विकास के लिए भी आवश्यक है। खेल खेलने से हमारा मन ताजगी और सक्रियता से भर जाता है। यह हमारे मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है और हमें खुश और स्वस्थ रखता है। खेल एक महान सामाजिक संगठन भी है।

परंतु हम जैसे नौकरी-पेशा लोगों के लिए, जिंदगी के एक पड़ाव के बाद ज्यादातर लोगों के पास में खेल-कूद, दौड़-भाग जैसी चीजों के लिए न ही तो उपयुक्त समय ही बच पाता है और न ही हमारे शरीर और मन में अब वो ऊर्जा बची होती है। परंतु अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है, तो फिर हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा न। इस स्थिति में हमारे पास अपने मन और

शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए एक अच्छा उपाय हो जाता है टहलना। प्रतिदिन टहलना व्यायाम का एक आकर्षक रूप है। ज़्यादातर लोग इसे कर सकते हैं और इसके कई फ़ायदे हैं। आमतौर पर सुबह का समय टहलने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सुबह के समय वातावरण शांत होता है और इसमें टहलने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। शुरुआती कुछ दिनों मे सुबह-सुबह उठने में थोड़ी परेशानी होती है, फिर धीरे-धीरे हमें इसकी आदत लग जाती है।

आज के समय में अधिकतर लोगों में विटामिन-डी की कमी बहुत ही आम बात हो गई है। सुबह-सुबह टहलने से हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन-डी मिलता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा सुबह-सुबह टहलने से धूप से हमारे शरीर की मालिश भी हो जाती है, जिससे कि हमारे शरीर और मन में एक नई ऊर्जा का आगमन होता है। रोज टहलने से हमारा पाचन-तंत्र बेहतर होता है। टहलने से शरीर की लगभग सभी मांस-पेशियाँ सक्रिय रहती हैं, खाना सही तरीके से पचता है और भोजन के सभी पोषक तत्वों का अवशोषण भी अच्छी तरह से होता है, जिससे हमारे शरीर को भरपूर पोषण मिलता है।

अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई व्यक्ति पूरी तरह से अपने दम पर हासिल कर सकता है। यह हमारे भौतिक वातावरण और खाने की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। अतः हमें स्वस्थ एवं संतुलित आहार लेना चाहिए। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन बहुत जरूरी है। शरीर के विकास के लिए प्रोटीन जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। विटामिन और मिनरल हड्डियों के निर्माण और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करते हैं।

स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखना न केवल व्यक्ति को आत्मविश्वासी और उत्पादक बनाता है बल्कि उसे सफलता की ओर भी ले जाता है। स्वस्थ जीवनशैली वाला व्यक्ति व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों का आनंद उठाएगा।

परवरिश

पारस कुमार शिवा
सहायक लेखा अधिकारी

अक्सर यह देखा गया है कि वयस्क लोग बच्चों की समस्याओं को बेमतलब समझकर ऐसे ही नजरअंदाज कर देते हैं परंतु बच्चों के लिए वही छोटी समस्या किसी पहाड़ से कम नहीं होती। उदाहरण के रूप में अगर किसी स्कूली छात्र का पेंसिल बॉक्स टूट जाए तो हमारे लिए शायद वह इतनी चिंता का विषय न हो परंतु उस बच्चे के लिए वह उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि उसकी जवाबदेही उसके माता पिता की तरफ होगी जो कि यह जानते हुए भी कि यह एक मामूली बात है, उसे शिक्षित करते हुए डांटेगें अथवा मार भी सकते हैं। ऐसे में देखा गया है कि माता पिता भूल जाते हैं कि आए दिन उनसे भी ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं एवं हर निर्जीव वस्तु का एक समय के बाद टूट जाना या खराब हो जाना निश्चित है, वह काल मनुष्य के जीवन से लंबा हो सकता है परंतु कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं होती वे यह भूल जाते हैं।

एक बच्चे के लिए पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, यह मायने नहीं रखता, उसके लिए उसका परिवार, स्कूल, मित्र यही उसका पूरा संसार होता है। उसके पास तुलना करने के लिए कोई जानकारी नहीं होती न ही उसे इसकी जरूरत होती है। उसके लिए अपनी छोटी सी दुनिया में छोटी सी हलचल भी बहुत बड़ी होती है। अक्सर बच्चों के मन में यह बात बैठा दी जाती है कि गलती करने पर सजा मिलती है तो कोई भी बच्चा गलती करने से डरता है पर इसके साथ ही वह कोई नई चीज करने से भी डरता है क्योंकि उसमें गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। कई बच्चों में यही चीज बड़े होने के बाद भी रहती है और वे कुछ भी नया करने से हमेशा झिझकते हैं।

भारतीय परवरिश में एक यह कमी भी देखी जा सकती है कि बच्चों को खेलते हुए चोट भी लग जाए तब भी उसे ही डाँट पड़ती है। ऐसा करके माता-पिता जाने-अनजाने में बच्चे के चरित्र एवं व्यक्तित्व में काँट-छाँट करके उसे अपने उत्तम बच्चे के साँचे में ढालने की चेष्टा करते हैं जो कहीं न कहीं उनके अपने व्यक्तित्व,

अपनी असुरक्षाओं के अनुकूल हो। वे सीधे-सीधे ऐसा बोलकर नहीं बल्कि अपने कृत्यों से अपने सही-गलत की परिभाषाएँ उन पर थोपते हैं।

कई माता-पिता यह भूल जाते हैं कि बच्चे उनकी परछाई होने के लिए या उनकी अपनी गढ़ी आदर्श मनुष्य की कसौटी में खरे उतरने के लिए पैदा नहीं हुए। अगर भगवान बुद्ध ने अपने पिता की इच्छानुसार राजपाट संभाल लिया होता तो वे अपनी नियति को जीकर बुद्ध न बन पातें। अक्सर माता-पिता यह भूल जाते हैं कि उनका बच्चा भी एक छोटा इंसान ही है, उनकी तरह। अतः इस उन्मुक्त गगन में बच्चों को उड़ने देना चाहिए ताकि वह वो बन सके जो वह होने के लिए बने हैं। साथ ही उनकी छोटी-छोटी समस्याओं को छोटा न समझकर उनका निष्पक्ष तरीके से निवारण करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उनमें एक अभय व्यक्तित्व का निर्माण हो सके।

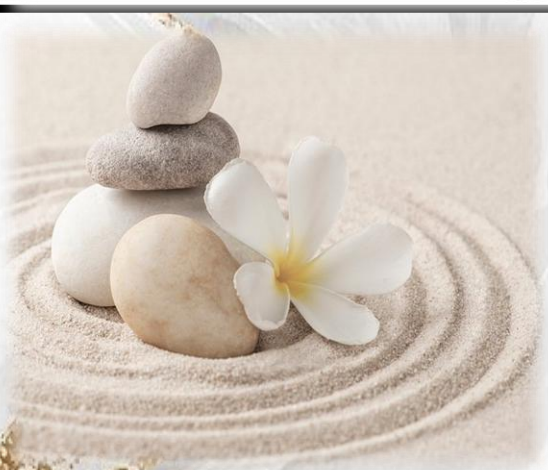

लग्जरी

वीरेंद्र कुमार

सहायक लेखा अधिकारी

लग्जरी की परिभाषा क्या है? **1960** के दशक में कार एक लग्जरी थी आज कोई पैदल नहीं चलता। **1970** के दशक में टेलीफोन लग्जरी था आज सबके पास एक टेलीफोन है। **1980** के दशक में टेलीविजन एक लग्जरी थी आज **2** वर्ष का बच्चा भी कार्टून देख कर ही दूध पीता है। **1990** के दशक में कंप्यूटर लग्जरी था आज उसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। **2000** में फोन एक लग्जरी था आज सब स्क्रीन के आगे नतमस्तक है। **2010** में इंटरनेट और **2020** में पब-जी जैसे वीडियो गेम खेलना एक लग्जरी चीज थी।

किन्तु यदि हम अपनी गुजरी हुई पीढ़ियों के साथ इस सूची का विश्लेषण करें तो पाते है कि किस प्रकार लग्जरी, समय के साथ हमारी आवश्यकता बन जाती है। अर्थात यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि जो आज आप के लिए लग्जरी है वो आपकी पीढ़ियों के लिए आवश्यकता बन जाएगी। फिर भी सवाल वही है कि आज लग्जरी क्या है? क्या क्रूज में जाना, मंहगे पब में जाना, किसी शेफ द्वारा बनाया भोजन खाना, आपके घर में लिफ्ट होना, लग्जरी है? शायद नहीं। आज लग्जरी है अपने खेत में उगाई गई ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां खाना।

आज लग्जरी आपके घर में लिफ्ट होना नहीं है आज लग्जरी है बिना किसी कठिनाई के तीन से चार मंजिल की सीढ़ियां चढ़ जाना। घर में फ्रिज होना लग्जरी नहीं है....लग्जरी है दिन में दो से तीन बार ताजा पका हुआ भोजन और ताजे ऑर्गेनिक फल खाना। पूरे घर का वातानुकूलित होना लग्जरी नहीं है.....लग्जरी है बिना नींद की गोलियां खाए चैन से सो जाना। आज लग्जरी है खुली हवा में भरपूर स्फूर्ति के साथ खेल खेलना। मंहगी कार से जिम जाना लग्जरी नहीं है, लग्जरी है बिना रुके **5** से 10 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता रखना। मंहगी घड़ियाँ लग्जरी नहीं है, लग्जरी है अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। आज लग्जरी चिकित्सा उपचार के लिए किसी विशेषज्ञ के पास या फिर मंहगे अस्पताल में जाना नहीं है अब लग्जरी है चिकित्सा सलाह के लिए एक पारिवारिक डॉक्टर का होना ।

आइए कुछ अनमोल चीजों के बारे में विचार करते हैं जिन्हें वास्तव में हम पैसों से नहीं खरीद सकते। जैसे खुश रहना, स्वस्थ रहना, एक प्यारा परिवार होना, अच्छा पड़ोस होना, भरोसे वाले दोस्तों का होना, प्रदूषण रहित हवा में सांस लेना, मानसिक शांति होना, बच्चों का माता-पिता के साथ रहना और दादा-दादी का पोते पोतियों के साथ रहना और उनका खेलना और मुस्कुराना। शायद ये चीजें लग्जरी हैं।

आज लग्जरी है शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, सूरज की रोशनी और उत्तम स्वास्थ्य। आज कल आप देख रहे होंगे कि बीमा कंपनियां पर्याप्त है किन्तु सुरक्षा एक लग्जरी बन गई है। जैसे कि यदि आप बॉडी गार्ड के साथ चलते हैं तो आज के दौर में यह एक लग्जरी लाइफ स्टाइल का प्रतीक है। जैसे मंदिर और आश्रम हर जगह है और हर मंदिर में भगवान और आश्रम एक पैगम्बर है किन्तु सब पर विश्वास कर पाना बहुत कठिन है। यदि आप अपने परिवार पर और परिवार के सदस्य आप पर भरोसा कर रहे हैं तो यह किसी लग्जरी से तनिक भी कम नहीं है।

यदि आप यह कहने की कोशिश करते हैं कि वह हर चीज लग्जरी है जो दुर्लभ है तो शायद सादगी सबसे बड़ी और मंहगी लग्जरी होगी। शालीनता, शिष्टाचार, प्रज्ञा, सूझ बूझ और ईमानदारी शायद ये आज के दौर की दुर्लभ लग्जरी वस्तुएं हैं। या फिर यूं कहे कि जिन चीजों को आप पैसों से नहीं खरीद सकते हैं वो ही लग्जरी है जैसे नैतिकता, ईमानदारी, तर्क शक्ति, सामान्य बुद्धि, धैर्य या फिर मृदुभाषी होना। आप अपने जीवन में बहुत लोगों से मिले होंगे या फिर अपनी दिनचर्या में अनेकों से रोज मिलते होंगे तो आप बेहतर महसूस कर सकते हैं कि ये चीजें किसी के पास होना कितनी दुर्लभ है। इसका निर्णय आप खुद कर सकते हैं कि ये सामान्य चीजें हैं या फिर लग्जरी है।

वर्तमान में एआई (**AI**) एक लग्जरी है किन्तु भविष्य में यह हमारी आवश्यकता होगी और **HI** (ह्यूमन इंटेलिजेंस) एक लग्जरी होगी।

चंद्रनीर

पारस कुमार शिवा
सहायक लेखा अधिकारी

पूर्णिमा की रात्रि को रात्रि कहने में थोड़ा संकोच होता है। रात में भी सब प्रकाशित होने की वजह से शीतल दिन की तरह भी कहें तो शायद सही हो। सूरज के अभाव के कारण ही इसे रात कहा गया होगा। समुद्र तट पर पूर्णिमा की रात होने का एक फायदा यह भी होता है कि एक साथ दो चाँद देखे जा सकते हैं और सब स्थिर हो तो कौन सा असली है यह बताना भी मुश्किल है। वैसे लहरों के बीच चाँद ज्यादा साफ नहीं दिखता, वहीं पास में पानी के गढ्ढों में ज्यादा सुंदर दिखाई देता है पर चाँद तो एक ही है चाहे उसे समुद्र में देखा जाए या एक छोटे गढ्ढे में।

जब पूरा चाँद आसमान में हो तो सब दिखाई तो देता है पर सूरज की तरह चीजों को स्पष्ट तरीके से एक दूसरे से भिन्न नहीं करता, चीजें एक दूसरे की सीमा लांघकर एक दूसरे में घुसी होती है जैसे किसी बच्चे का चित्र हो। चीजें शायद वास्तव में एक दूसरे में पिरोई गई हैं, एक मोतियों की माला की तरह और धागा है वह चाँदनी जो सबको बाँधती है पर इतना अलग भी रखती है कि भेद पता चले। इसी से अमावस की रात भी याद आती है जिसमें कोई भेद पता नहीं चलता, सब एक हो जाता है।

चाँदनी में कहीं एक माँ की छवि दिखाई देती है, जो रास्ता तो दिखाती है पर ताप नहीं देती। चाँदनी में इंसान दूर तक चल सकता है परंतु ताप में नहीं। चाँद से आँखें मिलाने में भी शीतलता ही मिलती, यह हमें झुलसाता नहीं है। शायद चाँद को यह गवारा है कि हम उससे आँख में आँख डाल कर बात करें। अक्सर जग को प्रकाशित करने वालों की ओर हम सीधे नहीं देख पाते, ऊपर बैठे सब चलाने वाले लोगों से हम आँख नहीं मिला पाते। उनके ऊपर आते समय या नीचे गिरते समय ही हम उन्हें आँख मिलाकर देख पाते हैं परंतु चाँद यह प्रमाण देता है कि पथ दिखाने के लिए तेज नहीं बल्कि शीतलता भी कारगर है।

चाँद में तो दाग होते हैं, पर दाग शायद सूरज में भी होंगें पर हम चाँद को ही भर आँख देख पाए हैं। अगर हम सूरज को पूरे शिखर पर देख पाते तो शायद उसमें भी कमियां निकाल लेते। दिन में भी चंद्रमा रहता है पर हम उसे सूरज के रहते देख ही नहीं पाते। इतना सब सोचते ही किसी ने पानी में पत्थर मारा और चंद्रमा के प्रतिबिंब को खंडित कर दिया तभी मेरे मन में विचार शांत हुए और मुझे मन स्थिर होने पर चंद्रमा दिखने लगा।

एक भारत श्रेष्ठ भारत

श्रुति शर्मा

सहायक लेखा अधिकारी

"एक भारत श्रेष्ठ भारत" के संकल्प को पूरा करने के लिए बिहार दिवस के अवसर पर केरल के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत बिहारवासियों को राजभवन में आमंत्रित किया गया। यह कविता जो केरल और बिहार की विशेषताओं को समाहित करता है, माननीय राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई।

माननीय राज्यपाल के समक्ष कविता प्रस्तुत करती हुई सुश्री श्रुति शर्मा

केरल की इस पावन धरती पर हम बिहार से आए हैं,
अपने बिहार की मीठी खुशबू, हम अपने साथ भी लाए हैं।
बिहार जहां गौरव भरा इतिहास है,
वहीं केरल की संस्कृति बहुत ही खास है।
इसे तरक्की की राह पर ले जाने की
हम युवाओं से ही आस है,
और हम इसे पूरा करेंगे, इतना तो विश्वास है।

बिहार में रह कर हमने लिट्टी चोखा और ठेकुआ खाया है,
केरल में आकर पायसम और सद्या को आजमाया है,
पड़मपूरी को हमने बिहारी पुआ और
अवियल को मिक्स वेज से मिलाया है,
कोकोनट के बिना यहां कोई डिश पूरी नहीं है, इतना समझ आया है।

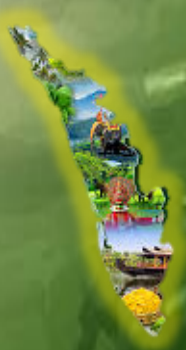

अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में भाषा की एक पहचान है,
बिहार की भोजपुरी मैथिली तो मलयालम केरल की जान है,
हमने भी मलयालम में लिखना पढ़ना सीख लिया है,
'सुखम आणो', 'नन्दी', 'संसारिकाम' से ही
अपने ऑफिस वालों को खुश किया है।

बिहार की कजरी और झिझिया ने जहां बिहार को एक धागे में पिरोया है,
वहीं केरल की कथकली और मोहिनियाट्टम ने हम सबके मन को मोहा है।
बिहार की दिवाली और छठ की याद आती है,
पर ओणम और आट्टुकाल पोंगाला से हमारी खुशियां दोगुनी हो जाती हैं।

राजगीर, बोधगया और पावापुरी से ज्ञान का प्रकाश आता है,
केरल के वनों और समुद्रों का प्रकति से गहरा नाता है,
मून्नार का सौंदर्य हो या शंखुमुखम का तट हो,
शबरीमाला की भव्यता हो या आष़ीमला में शिवजी की लट हो,
इनकी सुंदरता ने केरल को *God's Own Country* बनाया है।

और तहे दिल से धन्यवाद माननीय राज्यपाल सर का
जिन्होंने हमें राजभवन बुलाया है।

महालेखाकार (ले व ह), केरल के प्रधान कार्यालय एवं शाखा कार्यालयों में हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा समारोह 2024 के आयोजन की रिपोर्ट

प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), (लेखापरीक्षा-I) एवं महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), केरल के प्रधान कार्यालयों में दिनांक 14.09.2024 से 27.09.2024 तक हिंदी पखवाड़ा समारोह मनाया गया।

हिंदी दिवस का पालन एवं राजभाषा प्रतिज्ञा

14 सिंतबर को बंद छुट्टी होने के कारण 17 सितंबर को हिंदी दिवस का पालन करते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राजभाषा प्रतिज्ञा ली गई।

प्रतियोगिताएँ

अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 18.09.2024 से 23.09.2024 तक निम्नलिखित प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई।

(1)	निबंध लेखन
(2)	टिप्पण एवं आलेखन
(3)	प्रशासनिक हिंदी
(4)	अंग्रेजी से हिंदी में और विलोमतः अनुवाद
(5)	कथा रचना
(6)	कविता रचना
(7)	सुलेखन
(8)	वर्णानुक्रम
(9)	कविता पाठ
(10)	आशुभाषण
(11)	प्रश्नोत्तरी
(12)	पोस्टर डिज़ाइनिंग

राजभाषा जागरूकता कार्यक्रम

24.09.2024 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक अधिकारियों के लिए राजभाषा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री मनोज कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा), द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, वलियमला, तिरुवनंतपुरम द्वारा इस कार्यक्रम में व्याख्यान दिया गया।

समापन सम्मेलन

हिंदी पखवाड़ा 2024 का समापन सम्मेलन दिनांक 27.09.2024 को आयोजित किया गया। सुश्री षेबा पी एच, उप महालेखाकार द्वारा सभा का स्वागत किया गया। सुश्री अतूर्वा सिन्हा, महालेखाकार द्वारा अध्यक्षीय भाषण दिया गया। इस अवसर पर प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। तदुपरांत कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। श्री मोहम्मद डानिष, उप महालेखाकार के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह संपन्न हुआ।

मंच संचालन – श्री योगेंद्र सिंह, कनिष्ठ अनुवादक

ईश्वर वंदना – सुश्री श्रुति शर्मा, सहायक लेखा अधिकारी

स्वागत भाषण- सुश्री षेबा पी एच, उप महालेखाकार

अध्यक्षीय भाषण- सुश्री अतूर्वा सिन्हा, महालेखाकार

समूह गान प्रस्तुति

धन्यवाद ज्ञापन – श्री मोहम्मद डानिष, उप महालेखाकार

हिंदी पखवाड़ा समारोह 2024 के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता

क्र. सं.	प्रतियोगिता का नाम	विजेता अधिकारी/कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती)		
		प्रथम पुरस्कार	**द्वितीय पुरस्कार**	**तृतीय पुरस्कार**
1.	निबंध लेखन	**तुलसी मेघवाल** लेखापरीक्षक	**शांति के** सहायक लेखा अधिकारी	**राजकुमार** लेखाकार
2.	टिप्पण एवं आलेखन	**लोकेश कुमार मीणा** सहायक लेखा अधिकारी	**जोण तोमस के** वरिष्ठ लेखापरीक्षक	**संतोष मीना** सहायक लेखा अधिकारी
3.	प्रशासनिक हिंदी	**जोण तोमस के** वरिष्ठ लेखापरीक्षक	**श्रुति शर्मा** सहायक लेखा अधिकारी	**लोकेश कुमार मीणा** सहायक लेखा अधिकारी
4.	अनुवाद	**जोण तोमस के** वरिष्ठ लेखापरीक्षक	**अनुराग शुक्ला** सहायक ले.प. अधिकारी	**शांति के** सहायक लेखा अधिकारी
5.	कथा रचना	**अनुराग शुक्ला** सहायक ले.प. अधिकारी	**ऋतेश कुमार शर्मा** सहायक ले.प. अधिकारी	**उषा बेरटी** वरिष्ठ ले.प. अधिकारी
6.	कविता रचना	**अनुराग शुक्ला** सहायक ले.प. अधिकारी	**पारस कुमार शिवा** सहायक लेखा अधिकारी	**श्रुति शर्मा** सहायक लेखा अधिकारी
7.	सुलेखन	**हिमांशु कुमार** सहायक ले.प. अधिकारी	**आरती कुमारी** सहायक लेखा अधिकारी	**मीनाक्षी प्रसाद** सहायक लेखा अधिकारी
8.	वर्णानुक्रम	**प्रतीक्षा भूषण** लेखापरीक्षक	**विनीत कुमार** सहायक लेखा अधिकारी	**अश्वति एस** लेखापरीक्षक
9.	कविता पाठ	**श्रीजु कुमारजी** सहायक पर्यवेक्षक	**नलिनी मेनोन** सहायक लेखा अधिकारी	**निषा** सहायक ले.प. अधिकारी
10.	आशुभाषण	**जे ए साई कुमार** वरिष्ठ लेखापरीक्षक	**पारस कुमार शिवा** सहायक लेखा अधिकारी	**सुशीला पी वी** वरिष्ठ ले.प. अधिकारी
11.	प्रश्नोत्तरी	**विनीत कुमार** सहायक लेखा अधिकारी	**राजकुमार** लेखाकार	**अश्वति एस** लेखापरीक्षक
		आदित्य श्रीवास्तव सहायक लेखा अधिकारी	**मुकेश कुमार पाल** लेखाकार	**अनुराग शुक्ला** सहायक ले.प. अधिकारी
12.	पोस्टर डिज़ाइनिंग	प्रतिभागिता प्रमाण-पत्र		
		सतिथा एस वरिष्ठ लेखाकार	**प्रशांत** लेखाकार	**जे ए साई कुमार** वरिष्ठ लेखापरीक्षक	**अविनाश नाथ** लेखापरीक्षक

की हार्दिक शुभकामनाएं

पुरस्कार वितरण

हिंदी पखवाड़ा समारोह 2024 : शाखा कार्यालय, तृश्शूर

दिनांक 14.09.2024 से 27.09.2024 तक शाखा कार्यालय, तृश्शूर में लेखापरीक्षा एवं लेखा व हकदारी स्कंधों के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें प्रशासनिक हिंदी, हिंदी निबंध, सुलेखन, वर्णानुक्रम, हिंदी प्रश्नोत्तरी आदि प्रतियोगिताएं शामिल थीं। 24.09.2024 को राजभाषा के संबंध में ज्ञानवर्धन हेतु अधिकारियों के लिए राजभाषा जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

प्रतियोगिताओं के विजेता				
क्र. सं.	प्रतियोगिता का नाम	विजेता अधिकारी/कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती)		
		प्रथम पुरस्कार	**द्वितीय पुरस्कार**	**तृतीय पुरस्कार**
1.	निबंध लेखन	**जयकुमार भास्करन** वरिष्ठ लेखा अधिकारी	**आर्या एस** लेखापरीक्षक	**मंजु सी** वरिष्ठ लेखापरीक्षक
2.	प्रशासनिक हिंदी	**जयकुमार भास्करन** वरिष्ठ लेखा अधिकारी	**मंजु सी** वरिष्ठ लेखापरीक्षक	**उषा गणपति पी पी** वरिष्ठ लेखा अधिकारी
3.	सुलेखन	**हेलन तोमस** लेखापरीक्षक	**आर्या एस** लेखापरीक्षक	**अर्जुन रमेश** सहायक ले.प. अधिकारी
4.	वर्णानुक्रम	**मंजु सी** वरिष्ठ लेखापरीक्षक	**अतुल्या के एस** लेखापरीक्षक	**अजवद पी वी** लेखापरीक्षक
5.	प्रश्नोत्तरी	**आशिष जी बी** लेखापरीक्षक	**एम प्रसाद** लेखापरीक्षक	**आर्या एस** लेखापरीक्षक
		अजवद पी वी लेखापरीक्षक	**अभिजित** वरिष्ठ लेखापरीक्षक	**अतुल्या के एस** लेखापरीक्षक

समापन समारोह दिनांक 07.10.2024 को अपराह्न 12.00 बजे श्री राहुल पा., वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। समापन समारोह का शुभारंभ प्रार्थना के साथ हुआ। श्री आकाश मिश्रा, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ने बड़ी तन्मयता के साथ मंच का संचालन किया। श्रीमती गेळी कृष्णा, हिंदी अधिकारी (ले व ह) ने अपने स्वागत भाषण में राजभाषा हिंदी को गति देने हेतु समस्त कर्मचारी-वृंद को प्रेरित किया। श्री राहुल पा., वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कर्मचारियों को अपने दैनिक कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करने का आह्वान किया तथा कार्यालय के कर्मचारियों को हिंदी का प्रचार ऐसे आयोजनों तक सीमित न रखकर अपने दैनिक जीवन का भाग बनाने के प्रेरणादायी उद्धरणों के साथ अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य रखा। कार्यक्रम के दौरान श्री विष्णु एस पी, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ने विजेताओं के

नाम की घोषणा की। श्री राहुल पा., वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) ने अपने कर कमलों से विविध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को महालेखाकार महोदया द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रदान किया। इस अवसर पर कार्यालय के कर्मचारीगण ने हिंदी फिल्मी गीत गाकर सभा का मनोरंजन किया। श्री ओमप्रकाश डोई, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने समारोह में सहयोग देनेवाले सभी पदधारियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम अपराह्न 1.00 बजे संपन्न हुआ।

हिंदी दिवस समारोह 2024 : शाखा कार्यालय, कोषिकोड़

शाखा कार्यालय, कोषिकोड़ में 17.09.2024 को हिंदी दिवस का पालन करते हुए राजभाषा प्रतिज्ञा ली गई। 25 सितंबर को पूर्वाहन 10.00 बजे प्रशासनिक हिंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई और अपराह्न 02.00 बजे समापन समारोह आयोजित किया गया। प्रार्थना गीत के साथ समारोह का शुभारंभ हुआ। श्रीमती अबीदा अज़ीज, सहायक लेखा अधिकारी ने सभा का स्वागत किया। श्री लीलाधरन पी वी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी ने सम्मेलन की अध्यक्षता की और प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम की घोषणा की। श्री ओम प्रकाश डोई, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने आशीर्वाद भाषण दिया जिसमें उन्होंने सभी प्रतिभागियों के प्रयास की सराहना की और हिंदी भाषा के साथ निरंतर जुडे रहने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। श्री एम टी विजयन, सहायक लेखा अधिकारी के अपने कृतज्ञता ज्ञापन के साथ समारोह संपन्न हुआ, जिसमें उन्होंने सभी कार्मिकों के योगदान एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

प्रतियोगिताओं के विजेता				
क्र. सं.	प्रतियोगिता का नाम	विजेता अधिकारी/कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती)		
		प्रथम पुरस्कार	**द्वितीय पुरस्कार**	**तृतीय पुरस्कार**
1.	प्रशासनिक हिंदी	**एम टी विजयन** सहायक लेखा अधिकारी	**अबीदा अज़ीज़** सहायक ले.प. अधिकारी	**राहुल रंजित** सहायक ले.प. अधिकारी

हिंदी दिवस समारोह 2024 : शाखा कार्यालय, एरणाकुलम

महालेखाकार (ले व ह), केरल के शाखा कार्यालय, एरणाकुलम में 26 सितंबर 2024 को हिंदी दिवस निम्नलिखित कार्यक्रम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्रीमती मिनी पवित्रन, सहायक पर्यवेक्षक के नेतृत्व में प्रार्थना के साथ हुई। श्री अरुण कुमार बी, लेखाकार द्वारा स्वागत भाषण दिया गया, जिसके बाद श्रीमती लोला आर, वरिष्ठ लेखा अधिकारी ने आशीर्वाद भाषण दिया। इस संबंध में, 20 सितंबर 2024 को कर्मचारियों के लिए आयोजित पोस्टर डिजाइनिंग, सुलेखन और श्रुतलेखन प्रतियोगिताएं के विजेताओं को श्री मनोज के पी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, श्रीमती लोला आर, वरिष्ठ लेखा अधिकारी और श्री पद्मकुमार टी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। लक्ष्मी प्रिया टीजी, सहायक लेखा अधिकारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया और कार्यक्रम का संचालन श्रीमती संध्या एस, हिंदी अधिकारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

प्रतियोगिताओं के विजेता				
क्र. सं.	प्रतियोगिता का नाम	विजेता अधिकारी/कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती)		
		प्रथम पुरस्कार	**द्वितीय पुरस्कार**	**तृतीय पुरस्कार**
1.	**पोस्टर डिजाइनिंग**	**श्रीजित के आर** वरिष्ठ लेखाकार	**विद्या मोहनलाल पी** वरिष्ठ लेखाकार	**मिनी पवित्रन** सहायक पर्यवेक्षक
2.	**सुलेखन**	**लक्ष्मिप्रिया टी जी** सहायक लेखा अधिकारी	**श्रीजित के आर** वरिष्ठ लेखाकार	**अरुणकुमार बी** लेखाकार
3.	**श्रुतलेखन**	**लक्ष्मिप्रिया टी जी** सहायक लेखा अधिकारी	**श्रीजित के आर** वरिष्ठ लेखाकार	**विद्या मोहनलाल पी** वरिष्ठ लेखाकार

हिंदी दिवस समारोह 2024 – शाखा कार्यालय, कोट्टयम

महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल के शाखा कार्यालय कोट्टयम में 26 सितंबर 2024 को हिंदी दिवस निम्नलिखित कार्यक्रम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्रीमती सिंधु सी सी, सहायक लेखा अधिकारी द्वारा प्रार्थना के साथ की गई। श्री जयराम टी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा स्वागत भाषण दिया गया, जिसके बाद श्री बाबूराज एस आर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्रीमती सेतुलक्ष्मी टी एस, वरिष्ठ लेखा अधिकारी ने आशीर्वाद भाषण दिए। इस संबंध में, कर्मचारियों के लिए आयोजित पोस्टर डिजाइनिंग, सुलेखन और श्रुतलेखन प्रतियोगिताएं के विजेताओं को श्री बाबूराज एस आर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्रीमती सेतुलक्ष्मी टी एस, वरिष्ठ लेखा अधिकारी एवं श्री डेन सी जार्ज, वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। श्रीमती वसंताकुमारी आर, सहायक लेखा अधिकारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया और कार्यक्रम का संचालन श्रीमती रेणुका जोशी, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन मनोरंजन क्लब, कोट्टयम के राष्ट्रगान के साथ हुआ।

प्रतियोगिताओं के विजेता				
क्र. सं.	प्रतियोगिता का नाम	विजेता अधिकारी/कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती)		
		प्रथम पुरस्कार	**द्वितीय पुरस्कार**	**तृतीय पुरस्कार**
1.	**पोस्टर डिजाइनिंग**	**श्रीप्रसाद** वरिष्ठ लेखाकार	**जिनू अब्राहम** सहायक पर्यवेक्षक	**जेइन एस** वरिष्ठ लेखाकार
2.	**सुलेखन**	**वसंताकुमारी आर** सहायक लेखा अधिकारी	**डेइसम्मा राजू** सहायक पर्यवेक्षक	**सुमा जार्ज** सहायक लेखा अधिकारी
3.	**श्रुतलेखन**	**सिंधु सी सी** सहायक लेखा अधिकारी	**वसंताकुमारी आर** सहायक लेखा अधिकारी	**सैली पी डी** सहायक पर्यवेक्षक

OFFICES
OFFICE, KOTTAY

OFFICES OF THE ACCOUNTANTS GENERA
BRANCH OFFICE, KOTTAYAM
हिंदी दिवस समारोह 2024

BRANCH OFFICE, KOTTAYAM

Galaxy S24

हार्दिक अभिनंदन

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, बेंगलूरु द्वारा दिनांक 04.11.2024 से 16.12.2024 तक आयोजित प्रारंभिक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंत में आयोजित परीक्षा में ***प्रथम स्थान*** *प्राप्त करने के उपलक्ष्य में* ***स्वर्ण पदक*** *से सम्मानित*

सुश्री प्रज्ञा मौर्या, कनिष्ठ अनुवादक*, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम*

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, बेंगलूरु द्वारा दिनांक 04.11.2024 से 16.12.2024 तक आयोजित प्रारंभिक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंत में आयोजित परीक्षा में ***तृतीय स्थान*** *प्राप्त करने के उपलक्ष्य में* ***कांस्य पदक*** *से सम्मानित*

सुश्री रेणुका जोशी, कनिष्ठ अनुवादक*, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का शाखा कार्यालय,एरणाकुलम*

उन भाषाओं का, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी, उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।

(2) धारा 3 जनवरी, 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीख नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) 'नियत दिन' से, धारा 3 के संबंध में, जनवरी, 1965 का 26वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के संबंध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबंध प्रवृत्त होता है;

(ख) 'हिंदी' से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

3. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना -

(1) संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही, -

क. संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए यह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी ; तथा

ख. संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए, प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी:

परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी:

परंतु यह और कि जहां किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिंदी में ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा:

परंतु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा -

i. केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच;
ii. केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के बीच;
iii. केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कंपनी या कार्यालय के बीच; प्रयोग में लाई जाती है वहां उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या निगम या कंपनी का कर्मचारीवृन्द हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही-

i. संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं;
ii. संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागजपत्रों के लिए;
iii. केंद्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्ररूपों के लिए, प्रयोग में लाई जाएंगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि केंद्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबंध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जन साधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतया

यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं है उनका कोई अहित नहीं होता है।

(5) उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंध और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसी सभी राज्यों के विधान मंडलों द्वारा, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

4. राजभाषा के संबंध में समिति

1) जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात, राजभाषा के संबंध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी।
2) इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।
3) इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा।
4) राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा:

[परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे।]

5. केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद-

(1) नियत दिन को और उसके पश्चात् शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित-

(क) किसी केंद्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का, अथवा

(ख) संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का, हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(2) नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के, जो संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी

भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनका हिंदी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

6. कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद - जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिंदी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां, संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिंदी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से, नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी में अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

7. उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग - नियत दिन से ही या तत्पश्चात् किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ- साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

8. नियम बनाने की शक्ति -

1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।
2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के हर एक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में, अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रममिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रुप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात यह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9. कतिपय उपबंधों का जम्मू-कश्मीर को लागू न होना -

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 [अधिसूचना सं. का.आ. 1123(अ), तारीख 18-3-2020] तथा लद्दाख पुनर्गठन (केंद्रीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 [अधिसूचना सं. का.आ. 3774(अ) तारीख 23-10-2020] द्वारा लोप किया गया।

हाँ, हम बिहारी हैं

राहुल कुमार राय
सहायक लेखा अधिकारी

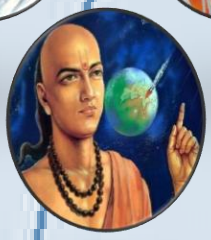

हम बिहारी हैं।
हम बिहार के एक बिहारी हैं।
बिहारी कोई शब्द मात्र नहीं,
यह भावनाओं से भारी है।
हाँ, हम बिहारी हैं।

यहाँ मगध साम्राज्य का इतिहास,
सम्राट अशोक के साहस की कहानी है,
वैशाली के लोकतंत्र की जुबानी नालंदा,
विक्रमशिला ज्ञान की धरती हमारी है।
हाँ, हम बिहारी हैं।

महावीर का तप, बुद्ध का ज्ञान,
चाणक्य की नीति, आर्यभट्ट की खोज हमारी है,
दिनकर, रेणु, राजेंद्र प्रसाद, गुरु गोविंद की धरती,
गांधीजी के सत्याग्रह की चर्चित कहानी हमारी है।
हाँ, हम बिहारी हैं।

कोशी अगर विनाशी है,
तो गंगा की निर्मल धार हमारी है,
छठ का पावन त्यौहार,
मिथिला सा संस्कारी हूं।
हाँ, मैं बिहारी हूं।

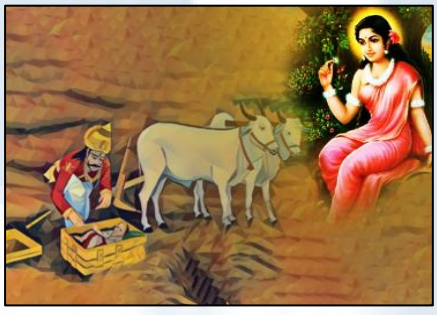

हम बिहारी हैं।
जानकी मैया इस मिट्टी से आयी थी,
इसलिए कृषि हमारी जिम्मेदारी है,
भागलपुरी सिल्क, विश्व प्रसिद्ध मखाना,
जर्दालू आम, मुजफ्फरपुर की लीची से
थैली सब की भारी है,
हाँ, हम बिहारी हैं।

नागी-नकटी, कांवर झील में
गूंजती कलरव ध्वनि हमारी है,
और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व,
राजगीर जंगल सफारी में
बिखरी सुंदरता हमारी है।
हां, हम बिहारी हैं।

रोहतास - कैमूर की पहाड़ी
ककोलत की जलधारा न्यारी है,
समस्तीपुर-सहरसा की मिट्टी,
मोकामा का टाल उपजाऊ है।
हाँ, हम बिहारी हैं।

हम बिहारी हैं।
कागजों पर पिछड़े राज्य का दर्जा है,
मगर, आईएएस/आईपीएस की फैक्ट्री के रूप में
पहचान हमने बनाई है,
रोजगार के लिए पलायन है मगर,
रेल इंजन, कागज, चीनी मिल की फैक्ट्री हमारी है।
हाँ, हम बिहारी हैं।

और...,
मोमोस, बर्गर, पिज्जा,
कोल्डड्रिंक्स के ज़माने में
आज भी लिट्टी-चोखा
और सतुआ की खुशबू सबसे प्यारी है।
हाँ, हम बिहारी है।

01.10.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति

क्र.सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
	समूह 'क' – गैर आईएएस		
1.	सुरेश कुमार के बी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.01.2025
	समूह 'ख'		
2.	माया पी	सहायक लेखा अधिकारी	30.11.2024
3.	सोमसुंदरन ई ए	पर्यवेक्षक	31.12.2024
4.	अनिता नारायण	पर्यवेक्षक	31.01.2025
5.	सुसन अब्राहम	सहायक लेखा अधिकारी	31.01.2025
6.	डैसम्मा राजू	सहायक पर्यवेक्षक	31.01.2025
7.	ग्रेसी बाबू	सहायक लेखा अधिकारी	31.01.2025
8.	अलैक्ज़ैंडर सैम्यूएल	पर्यवेक्षक	28.02.2025
9.	जयप्रकाश एन	सहायक पर्यवेक्षक	28.02.2025
10.	कमला आर	सहायक लेखा अधिकारी	28.02.2025
11.	शेर्ली डी	पर्यवेक्षक	31.03.2025
12.	मैथ्यू टी डी	पर्यवेक्षक	31.03.2025
13.	सुजाता ई वी	सहायक पर्यवेक्षक	31.03.2025
14.	लता जयन टी	सहायक पर्यवेक्षक	31.03.2025
15.	निर्मला जोस	सहायक लेखा अधिकारी	31.03.2025
16.	पद्माकुमारी एस	सहायक लेखा अधिकारी	31.03.2025
17.	जोयसी के जे	सहायक लेखा अधिकारी	31.03.2025
18.	जयप्रदीप एन	सहायक पर्यवेक्षक	31.03.2025
	समूह 'ग'		
19.	मधूसूदनन आर	हलवाई	31.10.2024
20.	शकुंतला एस	बहुकार्य कर्मी	31.03.2025

सेवानिवृत्ति पर बधाई

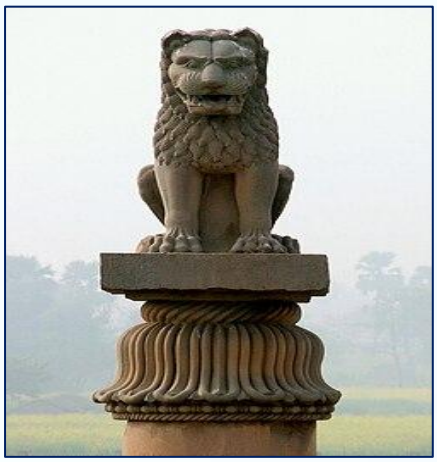

मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था

अंकित पाल
कनिष्ठ अनुवादक

भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कबीलाई गणतंत्रों से राजतंत्रों की ओर होने वाले ऐतिहासिक परिवर्तन का एक प्रमुख द्योतक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना नंद वंश के पतन के बाद कौटिल्य नामक ब्राह्मण की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य एक उच्च कोटि का प्रशासक था जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ यूनानी एवं ईरानी तत्व मौजूद होने के बावजूद समग्र रुप में वह मौलिक थी।

मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के विषय में अध्ययन के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इण्डिका, अशोक के अभिलेख व रुद्रदमन का गिरनार शिलालेख विशेष रुप से उल्लेखनीय है।

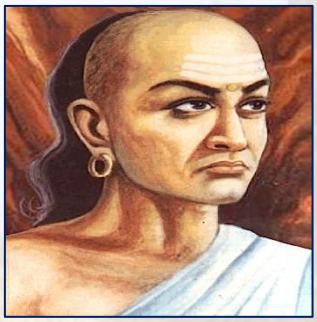

मेगस्थनीज के विवरणों से जानकारी मिलती है कि सम्राट दिन में नहीं सोता था व झगड़ों, विवादों के निर्णय देने एवं प्रजा के निवेदन सुनने जैसे सार्वजनिक कार्यों में संलग्न रहता था। मेगस्थनीज के विवरणों से यह भी पता चलता है कि जिस वक्त मुगदरों से उसके शरीर की मालिश की जाती व उसके बाल संवारे जाते उस वक्त भी वह जनता की शिकायतों और राजदूतों को सुनता था। कौटिल्य के अनुसार सम्राट को प्रजा की शिकायतें सुनने के लिए सुलभ रहना चाहिए तथा प्रजा के कोपभाजन व अराजकता फैलने से बचने के लिए प्रजा की शिकायतों को सुनने के लिए उन्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए।

अधिकांशतः राजधानी के विशाल राजप्रासादों में रहने वाला सम्राट एक विलासिता भरा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता। उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता व वह सदैव अंगरक्षकों से घिरा रहता। राजमहल से बाहर निकलने पर उसकी सुरक्षा के लिए मार्ग में सैनिक तैनात रहते थे। इस कौटिल्यकृत शासन व्यवस्था में अमात्य से मित्र राष्ट्र तक अपने अस्तित्व व संचालन के लिए सम्राट पर ही निर्भर थे। शासन के इन अंगों द्वारा सम्राट सामाजिक, नैतिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों पर एकाधिकार रखता था।

सामान्य अर्थों में अमात्य प्रमुख पदाधिकारी थे जो राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद पर आसीन थे। यूनानी लेखकों द्वारा इन्हें 'सभासद' या 'निर्धारक' की संज्ञा दी गई थी। कम संख्या के बावजूद ये मंत्री बेहद प्रभावशाली थे जो आवश्यक मामलों में सम्राट को परामर्श देते तथा प्रमुख प्रशासनिक व सैन्य पदाधिकारियों के चयन में भाग लेते। अमात्य भी दो वर्गों में विभाजित थे। पहला वर्ग 'मंत्रिपरिषद' कहलाता जिसमें ज्यादातर अमात्य शामिल थे तथा इसका मुख्य प्रयोजन सम्राट की मंत्रणा शक्ति में वृद्धि करना था। वहीं दूसरा वर्ग अमात्यों में से ही कुछ विशिष्ट सदस्यों को चुनकर निर्मित किया जाता था जो संख्या के लिहाज से छोटा होता था। यह एक उपसमिति थी जो 'मंत्रिण' कहलाती थी। 'मंत्रिण' का कार्य सम्राट को अति विशिष्ट मामलों में परामर्श देना था। इसमें प्रधानमंत्री, सन्निधाता, युवराज एवं सेनापति शामिल होते थे। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन 12000 पण व मंत्रिण के सदस्यों का वेतन 48000 पण होता था। इतिहासकार डॉ. आर. सी. मजूमदार ने इसकी तुलना इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल से की है।

सम्राट मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिण के आदेशों और परामर्शों को लागू करने के लिए एक केंद्रीय अधिकारी तंत्र की व्यवस्था की गई थी। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रशासन की सुविधा के लिए कुल 18 विभागों की स्थापना की गई थी। प्रत्येक विभाग के संचालन व निरीक्षण के लिए एक अमात्य नियुक्त होता था। प्रत्येक विभाग के अधीन उपविभाग होते थे जो तीर्थ कहलाते थे। इन उपविभागों के अध्यक्ष अमात्य के अधीन कार्य करते थे। समाहर्ता जनपद के प्रशासन को संचालित करता था व राजस्व का प्रमुख पदाधिकारी था। सन्निधाता राजकीय कोष का सर्वोच्च अधिकारी था। सेनापति युद्ध विभाग का अमात्य था। युवराज सम्राट के पुत्र होने की वजह से किसी भी विभाग के अमात्य बनाए जा सकते थे हालांकि ये अधिकांशतः प्रांतों के वायसराय की भूमिका निभाते थे। अर्थशास्त्र में युवराजों के गैर जिम्मेदार रवैये के लिए चेतावनी दी गई है संभवतः इसीलिए मंत्रिपरिषद युवराजों पर प्रतिबंध लगाती थी व युवराज की जानकारी के बिना मंत्रियों को आदेश भी दिए जाते थे। अन्य अधिकारियों में प्रदेष्टा - शोधन व फौजदारी न्यायालय, व्यावहारिक - दीवानी एवं धर्म संबंधी मामलों का, कार्मान्विक - उद्योग विभाग का, नायक - सेना का संचालक, दंडपाल - सेना की सामग्रियों का, अन्तरपाल - सीमावर्ती दुर्ग का, दुर्गपाल -राज्य के भीतरी दुर्गों का, नागरक - नगर का, दौवारिक - राजमहलों की देखरेख करने वाला, आंतर्वंशिक - सम्राट की अंगरक्षक सेना का, आत्विक - वन विभाग का प्रमुख था। ये सभी उच्च अधिकारी थे। इनके अतिरिक्त कुछ छोटे अधिकारी जैसे कुशीलव - संगीत से जुड़े, आरोहक - महावत , उपयुक्त-लिपिक, कार्तान्विक - भविष्यवक्ता आदि थे। न्याय प्रशासन में धर्मस्थीय

नामक दीवानी अदालत होती था, जहां न्याय का कार्य धर्मशास्त्र के निपुण तीन धर्मस्थ या व्यवहारिक तथा तीन अमात्य करते थे। दूसरी तरह की अदालत कंटकशोधन थी जो फौजदारी के मामलों का निपटारा करती थी। इसमें तीन प्रदेष्टा और तीन अमात्य मिलकर व्यक्तियों और राज्यों के बीच के मामलों का निपटारा करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायधीश को राज्जुक कहते थे। इसके साथ ही एक तीसरी तरह की अदालत भी थी जो विदेशी मामलों का निपटारा करती थी।

अशोक के अभिलेखों के अनुसार प्रांतीय प्रशासन प्रमुखतया पांच भागों 1. उत्तरपथ (राजधानी तक्षशिला) 2. दक्षिणापथ (सुवर्णगिरी) 3. अवंतिराष्ट्र (उज्जयिनी) 4. कलिंग 5. प्राची (पाटलिपुत्र) में विभाजित थी। इसके अलावा अन्य प्रांत भी थे। प्रत्येक प्रांत में अनेक मंडल होते व प्रदेष्टा मंडल का प्रमुख होता था। मंडल का विभाजन जिलों में होता था जिसका प्रमुख स्थानिक होता था। जिले एवं ग्राम के बीच एक मध्यवर्ती इकाई होती थी जिसके अंतर्गत 5 - 10 गांवों की समिति होती थी व इसका प्रमुख गोप होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम प्रशासन थी जिसका अध्यक्ष ग्रामिक कहलाता था।

इसके अतिरिक्त राजुका जैसे पद भी थे जिसका कार्य राजस्व प्राप्ति, जनकल्याण, धम्म को बनाए रखना था तथा वही बाजार अधिकारी भी था।

सैन्य प्रशासन के विषय में कौटिल्य और मेगस्थनीज दोनों ने ही विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। उनके अनुसार सैनिकों की तीन श्रेणियां थी जिसमें पुश्तैनी सैनिक, किराए के सैनिक व नगरपालिकाओं से संबंधित सैनिक शामिल थे। पहली श्रेणी सर्वप्रमुख व विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त थी तथा सम्राट की स्थाई सेना थी। राज्य में सैनिकों की आबादी कृषकों के बाद सर्वाधिक थी। चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना में 6 लाख पैदल, 30 हजार अश्वारोही, 9 हजार हाथी, तथा संभवतः 800 रथ थे। इस विशाल सेना हेतु छः समितियों में विभक्त एक पृथक सैन्य विभाग था। ये समितियां संबंधित विभागों 1. पैदल सेना 2. नौसेना 3. यातायात 4. प्रबंधन 5. घुड़सवार सेना 6. हाथी सेना ; की देखरेख करतीं थीं। पटलाध्यक्ष, रथाध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष तथा हस्ताध्यक्ष आदि इनके प्रमुख होते थे। इन अध्यक्षों के ऊपर नायक होता था जिसका वेतन 12000 पण तथा उसके ऊपर सेनापति सम्राट के बाद सेना का प्रमुख संचालक और निरीक्षक होता था जिसका वेतन 48000 पण होता था।

राज्य में शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए विद्रोह के षड्यंत्र की पूर्व जानकारी और अपराधियों का पकड़ा जाना आवश्यक था। अतः इसके लिए गुप्तचर विभाग आरक्षी व गुप्तचर नियुक्त करता था। ये गुप्तचर

दासी, भिक्षुक, शिल्पकार व वेश्याएं आदि होतीं थीं जो राज्य के कर्मचारियों के कार्यों व राज्य के आंतरिक और बाह्य शत्रुओं का पता लगाते थे। गुप्तचर व्यवस्था का प्रधान महामत्ता परुपि कहलाता था। यह विभाग दो भागों - 1. संस्था, जो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचर का कार्य करते थे और 2. संचार, जो विभिन्न स्थानों पर जाकर अपराध आदि का पता लगाते थे, में विभक्त थी। गुप्तचरों के कार्यों की निगरानी के लिए भी गुप्तचर रखे जाते थे अतः मौर्यकाल में एक दोहरी गुप्तचर व्यवस्था काम कर रही थी।

समाहर्ता राजस्व प्रशासन का प्रमुख था जिसके अधीन शुल्काध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष और लक्ष्णाध्यक्ष आदि अधिकारी थे। राज्य की आय के प्रमुख स्त्रोत कृषि, पशुपालन व वाणिज्य से प्राप्त आय थी। निजी खेती करने वाले मुख्यतः भाग नामक कर देते थे जो फसल का 1/5 भाग होता था। राज्य के द्वारा सिंचाई व्यवस्था के बदले सिंचाई कर भी लिया जाता था जो उपज का 1/5 और 1/3 भाग होता था। नाप कर बेची जाने वाली वस्तुओं पर 6.25 प्रतिशत और गिनकर बेची जाने वाली वस्तुओं पर 9.08 प्रतिशत कर लगता था। इसके अलावा चुंगी, दंड, सुरा, तैल और द्यूत आदि कर क्रमशः नगर में व्यापारिक माल के प्रवेश, कारागारों और अपराधियों, शराब के व्यापार से, तेलियों से और जुए के व्यवसाय से संबंधित कर थे।

इस तरह मौर्य प्रशासन व्यवस्था एक सुगठित और केंद्रीकृत व्यवस्था थी जिसके परवर्ती मौर्य शासकों के काल में विकेंद्रित और विघटित होने पर इतिहासकारों द्वारा इसे मौर्य वंश के पतन के प्रमुख उत्तरदायी कारक के तौर पर चिन्हित किया गया।

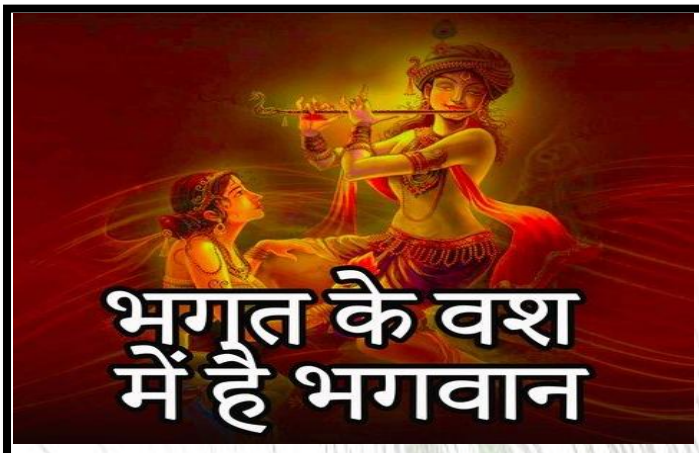

रेणुका जोशी
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

उत्तर भारत के राजस्थान, दिल्ली, उत्तरप्रदेश आदि राज्यों में एक कृष्ण भजन बहुत ही लोकप्रिय है, जिसका शीर्षक है - भगत के वश में है भगवान। कहते हैं कि यह भजन सच्ची घटना पर आधारित है जिसके अनुसार कई वर्षों पहले एक छोटी लड़की थी, जिसे भगवान कृष्ण से अटूट प्रेम था और वह नियमित रूप से वृंदावन जाती थी। वह धीरे धीरे बड़ी हुई, उसकी शादी हुई और उसके एक बेटा भी हुआ परन्तु श्रीकृष्ण से उसका प्रेम कम नहीं हुआ। वह श्रीकृष्ण को अपने बेटे के समान प्रेम करती थी। उसके पास लड्डूगोपाल (बालकृष्ण) की एक प्यारी सी मूर्ति थी। वह दिन-रात उन्हीं की सेवा में लगी रहती थी। और अगर भजनों में लग जाती तो कई दिनों तक खाना पानी भी भूल जाती थी। वह लड्डूगोपाल को अपनी गोद में खिलाती, उन्हें अपने कमरे से दिनभर देखती रहती और खुद से भी ज्यादा वह उनका ध्यान रखती थी।

समय का चक्र चलता रहा, वह औरत बूढ़ी हो गई और उसके बेटे की भी शादी हो गई। पर भगवान कृष्ण से उसका प्रेम कम नहीं हुआ। एक दिन जब उसकी बहू मंदिर की सफाई कर रही थी तब अचानक उसके हाथ से लड्डूगोपाल की प्रतिमा नीचे गिर गई। जैसे ही लड्डूगोपाल के नीचे गिरने की आवाज़ आई, वह बूढ़ी औरत तुरंत भागती हुई आई और विलाप करने लगी कि मेरे लल्ला को कोई डॉक्टर को दिखा लाओ। उसके बेटे और बहू ने भी उसे समझाने का प्रयास किया कि यह पीतल की बस एक मूर्ति है, यदि नीचे गिर भी गई तो भी इसे कुछ नहीं होगा। पर उस औरत का विलाप खत्म नहीं हुआ। वह बस एक ही बात पर अड़ी हुई थी कि उसका बेटा डॉक्टर को लाए और उसके लल्ला (लड्डूगोपाल) को दिखाए। उस औरत का विलाप सुनकर धीरे धीरे सारे गांववाले भी उसके घर के बाहर जमा हो गए। उस भीड़ में से किसी एक बुजुर्ग आदमी ने औरत के बेटे से कहा कि बेटा तेरी मां पागल हो गई है और जब तक डॉक्टर नहीं आएगा, यह औरत नहीं मानेगी तो तुम जाकर कोई भी डॉक्टर ले आओ और उससे कहना कि वह इसके लल्ला को देखकर उससे कहे कि उसका लल्ला ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ।

इस पर उस औरत का बेटा डॉक्टर को बुलाने निकल पड़ा। बहुत मिन्नतों के बाद एक डॉक्टर उसका काम करने को राज़ी हुआ। वह औरत के घर आया, उसने लड्डूगोपाल को देखा और औरत से बोला कि माई तू रो मत,

तेरा लल्ला बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। इस पर उस औरत ने कहा कि डॉक्टर तूने मेरे लल्ला को ठीक से देखा भी नहीं है और तू झूठ बोलता है। पहले अपनी मशीन (स्टेथोस्कोप) निकाल कर मेरे लल्ला को देख। डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप निकाल कर जैसे ही मूर्ति के हृदय पर लगाया, वैसे ही उसके सिर से पसीना बहने लगा। उसने बार बार स्टेथोस्कोप लगाया, लल्ला की नब्ज देखी और उठ कर लड़के से कहा कि तेरी मां पागल नहीं है, पागल तुम सब हो क्योंकि तेरी मां की भक्ति इतनी सच्ची है कि लल्ला का हृदय भी धड़क रहा है और उसकी नब्ज़ भी चल रही है। मेरे इतने वर्षों की मेडिकल और विज्ञान की पढ़ाई भी इसके सामने फेल हो गई। फिर वह उस बूढ़ी औरत से बोला कि माई देख तेरे लाल ने क्या कर दिया है, अब मैं भी वहीं जा रहा हूं जहां से तू इन्हें लेकर आई है। आज के बाद मेरा सारा जीवन कृष्ण के नाम है। इतना कहकर वह डॉक्टर वहां से चला गया और गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। और वह डॉक्टर भी भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया।

कहते हैं कि वृंदावन में उस डॉक्टर को समर्पित एक मंदिर भी है जो कि पागल बाबा के नाम से लोकप्रिय है। इस भजन को जितना भी सुनो, सुनने वाला हर बार भावविभोर हो ही जाता है। इस सुंदर से भजन की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, आप लोग भी गुनगुनाइए और भक्ति में खो जाइए।

भगत के वश में है भगवान
भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है
भक्त है इसकी शान
भगत मुरली वाले की रोज बृन्दावन डोले
कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले
श्याम के प्यार में पागल, हुई वो श्याम दीवानी
अगर भजनो में लागे, छोड़ दे दाना पानी
प्यार कारन वो लागी उससे अपने पुत्र समान
भगत के वश में है भगवान...

वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा के रखे
हमेशा सजा कर रखे की लाड लड़ा कर रखे
वो दिन में भाग के देखे, की रात में जाग के देखे
कभी अपने कमरे से, श्याम को झांक के देखे
अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लला का ध्यान
भगत के वश में है भगवान...

वो लल्ला लल्ला पुकारे हाय क्या जुल्म हुआ रे
बुढ़ापा बिगड़ गया जी लाल मेरा कैसे गिरा रे
जाओ डॉक्टर को लाओ लाल का हाल दिखाओ
अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ
रोते रोते पागल हो गई घर वाले परेशान
भगत के वश में है भगवान...

नब्ज को टटोल के बोले, ये तेरा लाल सही है
कसम खा के कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है
वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है
माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है
जोहि सीने से लगाया पसीना जम कर आया
उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया
धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण
भगत के वश में है भगवान...

देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ
जहाँ से तू लल्ला लाई वही पे जा रहा हूँ
लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है
आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है
बनवारी तेरी माँ नहीं पागल पागल सारा जहाँ
भगत के वश में है भगवान...

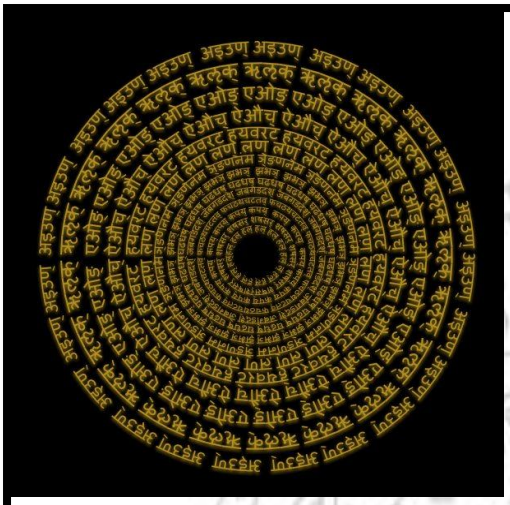

माहेश्वर सूत्र

रोहिणी के आर
सहायक निदेशक (राजभाषा)

संस्कृतम् (संस्कृत) को "देवभाषा" (देवताओं की भाषा) कहा जाता है, क्योंकि यह प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों, वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों की भाषा है। "संस्कृतम्" का अर्थ है "संस्कार की गई" या "शुद्ध की हुई" भाषा। यह हिंदू देवी-देवताओं की स्तुतियों, मंत्रों और धार्मिक ग्रंथों में प्रयोग होने के कारण भी "देवभाषा" कहलाती है। संस्कृत, एक प्राचीन इंडो-आर्यन भाषा, जो हिंदी, बांग्ला, मराठी, और सिंधी जैसी आधुनिक भारतीय भाषाओं की मूल है। यह हिंदू धर्म की प्राथमिक पवित्र भाषा है और दार्शनिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक संदर्भों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। संस्कृत का व्याकरण सुव्यवस्थित है और इसमें एक विस्तृत शब्दावली है।

संस्कृत की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से हुई है, जो 1700-1200 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। संस्कृत को हिंदू धर्म की पवित्र भाषा माना जाता है और इसे ज्ञान, दर्शन और साहित्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। संस्कृत में एक विस्तृत शब्दावली है और इसमें कई शब्द हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। संस्कृत का भारतीय भाषाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है, और कई आधुनिक भारतीय भाषाएँ संस्कृत से ही विकसित हुई हैं।

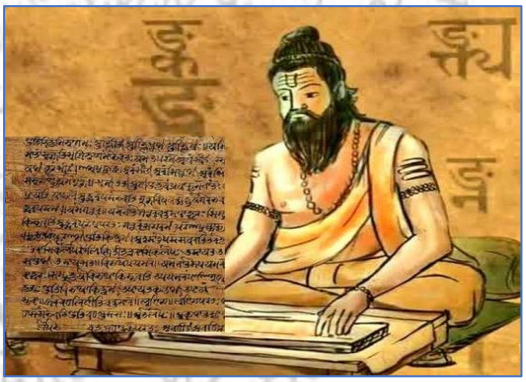

संस्कृत व्याकरण बहुत जटिल है और इसका एक विस्तृत व्याकरण है। संस्कृत व्याकरणकारों में प्रमुख थे पाणिनि। उन्हें संस्कृत भाषा के व्याकरण का जनक माना जाता है। उन्होंने ***अष्टाध्यायी*** नामक एक व्याकरण ग्रंथ लिखा, जिसमें संस्कृत व्याकरण के नियम और सिद्धांत दिए गए हैं। पाणिनि का जन्म लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गान्धार में हुआ था। उन्होंने संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप दिया, जिससे भाषा को व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाने में मदद मिली। पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में आठ अध्याय हैं, जिनमें लगभग 3959 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी में, पाणिनि ने व्याकरण, ध्वनियों और शब्दों के नियमों का विस्तृत विवरण दिया है। पाणिनि के व्याकरण के सिद्धांतों को आज भी भाषा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। अष्टाध्यायी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा की ध्वनि संरचना, रूप

संरचना और वाक्य संरचना का भी विश्लेषण किया है। पाणिनि को भाषा विज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है । उन्होंने संस्कृत भाषा को एक वैज्ञानिक भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । अष्टाध्यायी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया है। पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ ने संस्कृत भाषा को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

शिवसूत्रों को संस्कृत व्याकरण का आधार माना जाता है । अष्टाध्यायी के 14 सूत्र (अक्षरों के समूह) माहेश्वर सूत्र के रूप में जाने जाते हैं, जिनका उपयोग करके व्याकरण के नियमों को अत्यन्त लघु रूप देने में पाणिनि ने सफलता पायी है। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के तत्कालीन स्वरूप को परिष्कृत एवं नियमित करने के उद्देश्य से भाषा के विभिन्न अवयवों एवं घटकों यथा ध्वनि-विभाग, नाम (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण), पद, आख्यात, क्रिया, उपसर्ग, अव्यय, वाक्य, लिंग इत्यादि तथा उनके अन्तर्सम्बन्धों का समावेश अष्टाध्यायी में किया है। अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं जो आठ अध्यायों मे समान रूप से विभक्त हैं।

व्याकरण के इस महनीय ग्रंथ में पाणिनि ने विभक्ति-प्रधान संस्कृत भाषा के विशाल कलेवर का समग्र एवं संपूर्ण विवेचन विभिन्न सूत्रों में किया है , जो आठ अध्यायों में विभाजित हैं। तत्कालीन समाज में लेखन सामग्री की दुष्प्राप्यता को ध्यान में रखते हुए पाणिनि ने व्याकरण को स्मृतिगम्य बनाने के लिए सूत्र शैली की सहायता ली है। पुनः, विवेचन को अतिशय संक्षिप्त बनाने हेतु पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों से प्राप्त उपकरणों के साथ-साथ स्वयं भी अनेक उपकरणों का प्रयोग किया है जिनमें माहेश्वर सूत्र, सबसे महत्वपूर्ण हैं। माहेश्वर सूत्र को ही शिव सूत्र, पाणिनि सूत्र और प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी जाना जाता है।

माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो वर्णमाला के व्यवस्थित संगठन के लिए प्रयोग होता है। ये सूत्र संस्कृत के वर्णों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि स्वर, व्यंजन, और अन्य वर्ण। माहेश्वर सूत्रों का उपयोग प्रत्याहारों की रचना के लिए भी किया जाता है, जो वर्णों के समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माहेश्वर सूत्र व्याकरण के विभिन्न नियमों और सिद्धांतों की नींव रखते हैं, जैसे कि संधि, समास, और रूप परिवर्तन।

माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति: माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति को भगवान नटराज (शिव) के तांडव नृत्य से संबंधित माना जाता है। यह माना जाता है कि शिव ने तांडव नृत्य के दौरान चौदह बार डमरू बजाया था और इससे चौदह माहेश्वर सूत्रों का जन्म हुआ।

"नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्।

उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्॥"

अर्थात्:- "नृत्य (ताण्डव) के अवसान (समाप्ति) पर नटराज (शिव) ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना का उद्धार (पूर्ति) करने के लिए नवपंच (चौदह) बार डमरू बजाया। इस प्रकार चौदह शिवसूत्रों की यह जाल (वर्णमाला) प्रकट हुई।"

डमरू के चौदह बार बजाने से चौदह सूत्रों के रूप में ध्वनियाँ निकली, इन्हीं ध्वनियों से व्याकरण का प्राकट्य हुआ। इसलिए व्याकरण सूत्रों के आदि-प्रवर्तक भगवान नटराज को माना जाता है। प्रसिद्धि है कि महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों को देवाधिदेव शिव के आशीर्वाद से प्राप्त किया जो कि पाणिनीय संस्कृत व्याकरण का आधार बना।

माहेश्वर सूत्र

माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 है, जो निम्नलिखित हैं:

1. अ इ उ ण्
2. ऋ ऌ क्
3. ए ओ ङ्
4. ऐ औ च्
5. ह य व र ट्
6. ल ण्
7. ञ म ङ ण न म्
8. झ भ ञ्
9. घ ढ ध ष्
10. ज ब ग ड द श्
11. ख फ छ ठ थ च ट त व्
12. क प य्
13. श ष स र्
14. ह ल्

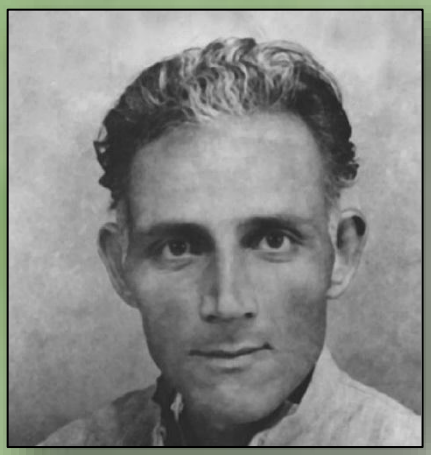

गजानन माधव 'मुक्तिबोध'

आधुनिक हिंदी साहित्य की महान विभूति मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को शिवपुरी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता पुलिस इन्स्पेक्टर थे और उनका प्रायः स्थानांतरण होने के कारण इनकी शिक्षा में बाधा पड़ती रहती थी। उन्होंने 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एम ए किया। 1939 में उन्होंने प्रेम विवाह किया और आजीविका के लिए 20 वर्ष की उम्र से मिडिल स्कूल में अध्यापन प्रारंभ किया। फिर पत्रकारिता, आकाशवाणी की सेवा से लेकर महाविद्यालय में प्राध्यापन तक किया, पर स्वतंत्र प्रकृति के कारण कहीं टिके नहीं। जीवन में अनेक आघात-प्रतिघातों को झेलते हुए 11 सितंबर 1964 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनकी रचनाएँ उनके जीवन-काल में पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं, पर अधिकांश का पुस्तक रूप में प्रकाशन उनके निधनोपरान्त हुआ।

प्रमुख कृतियाँ

इतिहास	:	भारत: इतिहास और संस्कृति
काव्य	:	चाँद का मुँह टेढा है, भूरी-भूरी खाक-धूल
कहानी संग्रह	:	काठ का सपना, सतह से उठता आदमी
उपन्यास	:	विपात्र
आलोचना	:	नयी कविता का आत्मसंघर्ष, कामायनी:एक पुनर्विचार, समीक्षा की समस्याएँ, नए साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र आत्माख्यान :एक साहित्यिक की डायरी

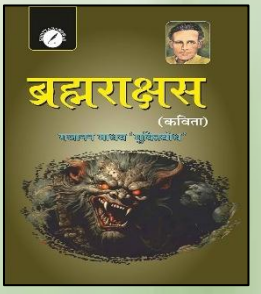

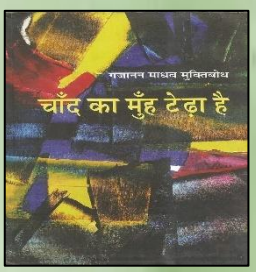

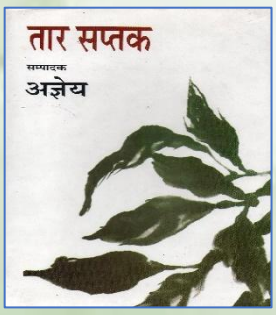

अज्ञेय द्वारा प्रकाशित 'तार सप्तक' (1943) के सात कवियों में से मुक्तिबोध एक हैं और सबसे भिन्न, नितान्त विशिष्ट मुक्तिबोध की कविताओं की अपनी एक अलग पहचान है - ठीक उसी तरह उनका व्यक्तित्व निराला था। अलग-अलग सबमें घुला-मिला भी सबसे दूर भी।

मुक्तिबोध में जो पहली बात हमें आकर्षित करती है वह है शिवत्व की भावना। यह भावना उनके व्यक्तित्व की पहचान भी बनाती है और उनके काव्य को मंडित भी करती है। इसलिए यदि यह कहा जाए कि हिंदी के कुछ गिने-चुने कवियों में से एक प्रखर व्यक्तित्व और ओजस्वी वाणी मुक्तिबोध की है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। जीवन के प्रति अगाध निष्ठा, अटूट आस्था इनका गौरव है। व्यक्तिगत जीवन में दुःख-दर्द और आर्थिक तंगी को इन्होंने हँसते-हँसते झेला, लेकिन अपने ईमान को सुख-सुविधा के लिए बेचा नहीं, आदर्शों से कोई समझौता नहीं किया, किसी गुरु या शिविर के पक्षधर नहीं हुए। देश-विदेश के मान्य लेखकों को खूब पढ़ा, विचारधाराओं और दर्शन-पद्धतियों का अध्ययन-मनन किया और अपने लिए जो मार्ग चुना, अन्त तक आखिरी साँस तक उस पर डटे रहे। अपने निर्णय पर कोई ग्लानि नहीं, अभावों की कोई चिंता नहीं। जीवन की सच्चाइयों को, कटु यथार्थ को मर्म तक जिया और झेला। मुक्तिबोध का रास्ता संघर्ष और क्रांति का रास्ता था, व्यवस्था के शिकंजे में जकड़ी पिसी जाती मानवता का उन्होंने पक्ष लिया। ढेर में से उन्होंने मानवता को उबारने की कोशिश की। मुक्तिबोध मार्क्सवाद से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनकी अपनी परिस्थितियों में और जिस परिवेश में वे लिख रहे थे, उसमें चारों ओर शोषण के दमन-चक्र के नीचे इंसान बुरी तरह पिस रहा था। अतः शोषित मानवता का उन्होंने पक्ष लिया। उसी शोषित- पीड़ित मानवता से उन्होंने अपनी ज़िन्दगी और रचना के लिए ऊर्जा प्राप्त की, दलिन मानवता ही उनकी रचना का शक्ति केंद्र है। उसी की भाषा में उसके दुःख-दर्द तथा वेदना की अभिव्यक्ति को वे कवि और कविता का परम कार्य मानते हैं। मुक्तिबोध के लिए कविता सत्य की अभिव्यक्ति है - परम अभिव्यक्ति जिसे वे पाना चाहते हैं।

मुक्तिबोध की कविता का विषय मनुष्य है-शोषित-पीड़ित मनुष्य, जो सदियों से दासता, दमन चक्र और अभावों का शिकार है। मनुष्यों को मनुष्य-रूप में देखना, मानवता की प्रतिष्ठा करना, मानव धर्म की स्थापना करना - यही मुक्तिबोध की कविता का वास्तविक और एकमात्र सरोकार है । उनकी एक कविता का एक अंश उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत है-

जो सोच रहा क्यों मावन के
इस तुलसी वन में आग लगी
क्यों मारी-मारी फिरती है
मन की यह गहरी सज्जनता
दुःख के कीड़ों ने खाई क्यों
ये जूही-पत्तियाँ जीवन की
निर्माल्य हुए क्यों फूल युवक युवती जन के
क्यों मानव- सुलभ सहज आकांक्षाओं के तरु
यों ठूंठ हुए वृन्दावन के
मानव-आदर्शों के गुम्बद में आज यहाँ
उलटे लटके चिमगादड पापी भावों के।

मुक्तिबोध प्रत्येक विचार, भाव या अनुभूति को उसकी पूरी त्वरा में चित्रित कर देने के लिए मानो छटपटाते रहते हैं और जब तक असलियत को उसके नग्न रूप में चित्रित नहीं कर लेते तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता है।

मेरे सहचर मित्र
जिन्दगी के फटे घुटनों से बहती
रक्तधार का जिक्र न कर।

(मेरे सहचर मित्र)

यही कारण है कि मुक्तिबोध की कविताएँ लंबी हैं। उनके विचारों, अनुभूतियों की श्रृंखलाएँ इस तरह गूँथी रहती हैं कि मुक्तिबोध की कविताओं से खण्ड-उद्धरण करना बड़ा दुष्कर होता है। शिल्प की दृष्टि से यही मुक्तिबोध की शक्ति का रहस्य है। कदाचित् यही उनकी सीमा भी। यथार्थ के दबाव में आकर अपने आदर्शों के आलोक में वे एक स्वप्न-कथा का निर्माण करने चलते हैं, फैन्टसी रूप धारण करती हैं, बिम्बों-प्रतीकों में ढलती चलती है। ये बिम्ब और प्रतीकमालाएँ कवि की उस पीड़ा और छटपटाहट को व्यक्त करती है जिससे प्रेरित होकर वह सारी अव्यवस्था को एकबारगी समूल नष्ट कर देना चाहता है।

मुक्तिबोध की कविता आत्मचेतस् अन्तः संभावना की खोज की लंबी एवं मार्मिक कहानी है -

फिर वही यात्रा सुदूर की,
फिर वही भटकती हुई खोज भरपूर की,
कि वही आत्मचेतस् अन्तः सम्भावना,
.....जाने किन खतरों में जूझे जिन्दगी !!

(पता नहीं)

अपूर्ण सत्य, अपूर्ण यत्न तथा अपूर्ण जीवनानुभूति - प्राणमूर्ति की समस्त भग्नता देखकर मुक्तिबोध के प्राण कराह उठते हैं। कविता क्या है? इस संदर्भ में स्वयं मुक्तिबोध का वक्तव्य इस प्रकार है

अनखोजी निज समृद्धि का वह परम उत्कर्ष,
परम अभिव्यक्ति
मैं उसका शिष्य हूँ
वह मेरी गुरु है, गुरु है !!

(ब्रह्मराक्षस)

खोजता हूँ पठार...पहाड...समुन्दर...
जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई
परम अभिव्यक्ति अनिवार आत्म-सम्भवा।

(अंधेरे में)

कवि-कर्म की सच्चाई और गंभीरता का मुक्तिबोध को भरपूर एहसास था, इसलिए उन्होंने घोषित किया कि -

जीवन में आज के लेखक की कठिनाई
यह नहीं कि
कमी है विषयों की
वरन् यह कि आधिक्य उनका ही
उसको सताता है,
और वह ठीक चुनाव कर नहीं पाता !!

(मुझे कदम-कदम पर)

कवि की पीड़ा- वेदना मानव मात्र की वेदना से एकरूप हो गयी है। वे अपना दर्शन प्रस्तुत करते हैं-

शोषण की अतिमात्रा,
स्वार्थों की सुख यात्रा,
जब-जब संपन्न हुई,
आत्मा से अर्थ गया, मर गयी सभ्यता।

(चांद का मुँह टेढा है)

शोषण से मुक्ति का एक ही मार्ग है, सबकी मुक्ति -

याद रखो कभी अकेले में मुक्ति न मिलती
यदि वह है तो सबके साथ ही।

(अंधेरे में)

उनकी कामना जन साधारण की विजय-कामना है। उनकी आकांक्षा का केंद्रबिन्दु शोषणमुक्त समाज है और इसी के इर्द-गिर्द उनकी कविता भी चलती है -

मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में
सभी मानव
सुखी, सुन्दर व शोषणमुक्त
कब होंगे ?

(चकमक की चिनगारियाँ)

इसी प्रश्न का समाधान तलाशने के लिए कवि कविताएँ लिखता है, "जो खत्म होकर भी खत्म नहीं होती" और इसीलिए उन्हें 'अधूरी दीर्घ कविताओं का कवि' कहा जाता है। आधुनिक हिंदी कविता के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु संपूर्ण हिंदी कविता के क्षेत्र में मुक्तिबोध विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं।

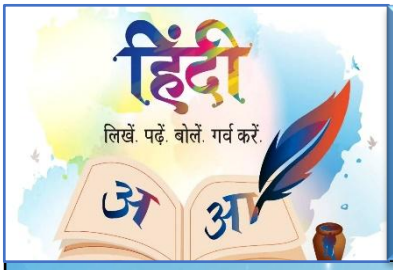

हिंदी भाषा पर सुविचार

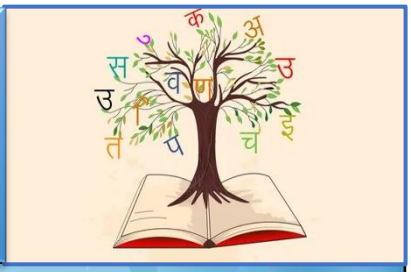

- भाषा ही हमारी पहचान है, हिंदी हमारी अद्भुत पहचान है।
- हिंदी भाषा का महत्व उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता में है।
- हिंदी भाषा को बचाने और बढ़ावा देने का कार्य हम सभी का दायित्व है।
- हिंदी भाषा हमारे राष्ट्र की गरिमा और गौरव का प्रतीक है, इसका सम्मान करें।
- हिंदी के माध्यम से हम अपने विचारों को और अधिक स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं।
- हिंदी दिवस के अवसर पर हम सभी को अपनी भाषा के प्रति आदर और स्नेह का प्रतीक बनना चाहिए।
- हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमें अपने बच्चों को इसके महत्व के बारे में शिक्षा देना चाहिए।
- हिंदी को एक मजबूत, एकत्रित और विश्वासी भाषा के रूप में बढ़ाने का काम हम सभी का है, ताकि हमारा देश और समाज आगे बढ़ सके।
- जो मानव अपनी भाषा का आदर करता है, वही व्यक्ति इस समाज में यश का अधिकारी होता है।
- हिंदी हमारी अपनी भाषा है, इसके साहित्य और ज्ञान को बढ़ावा देने की हमारी अपनी प्राथमिकता होनी चाहिए।
- आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपनी भाषा को न भूलें, क्योंकि भाषा ही हमारी पहचान होती है।
- दुनिया में जिस भी देश की भाषा और संस्कृति समृद्ध होती है, वही देश विकास के मार्ग को चुनकर प्रगति करता है।"
- हिंदी भाषा ही हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करती है, हमें इसका सदा सम्मान करना चाहिए।
- हिंदी हमारी संस्कृति की आत्मा है, इसके संरक्षण से हम अपनी संस्कृति का संरक्षण करते हैं।
- अपनी भाषा को सम्मान देने वाला हर व्यक्ति सही मायनों में मातृभूमि की सेवा करने के अपने संकल्प को सिद्ध करता है।
- हिंदी भाषा हमारे विचारों की वो अभिव्यक्ति है, जिसे अपनाने से हम अपना जीवन संपन्न और समृद्ध बना सकते हैं।
- हिंदी भाषा ही हमें जीवनभर समाज में सम्मान दिलाती है, इसकी मिठास ही सही अर्थों में हमारे व्यवहार का निर्माण करती है।
- समाज का यही सत्य है कि जिस देश की भाषा सशक्त होती है, कायदे में उसी देश का भविष्य उज्ज्वल रहता है।
- हिंदी भाषा के बिना भारतीय साहित्य अधूरा है, क्योंकि इस भाषा ने भारतीय साहित्य को और अधिक आकर्षक बनाया है।

ऑडिट दिवस 2024 के उपलक्ष्य में आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में

प्रतिभागियों द्वारा बनाई गई सुंदर रंगोलियां

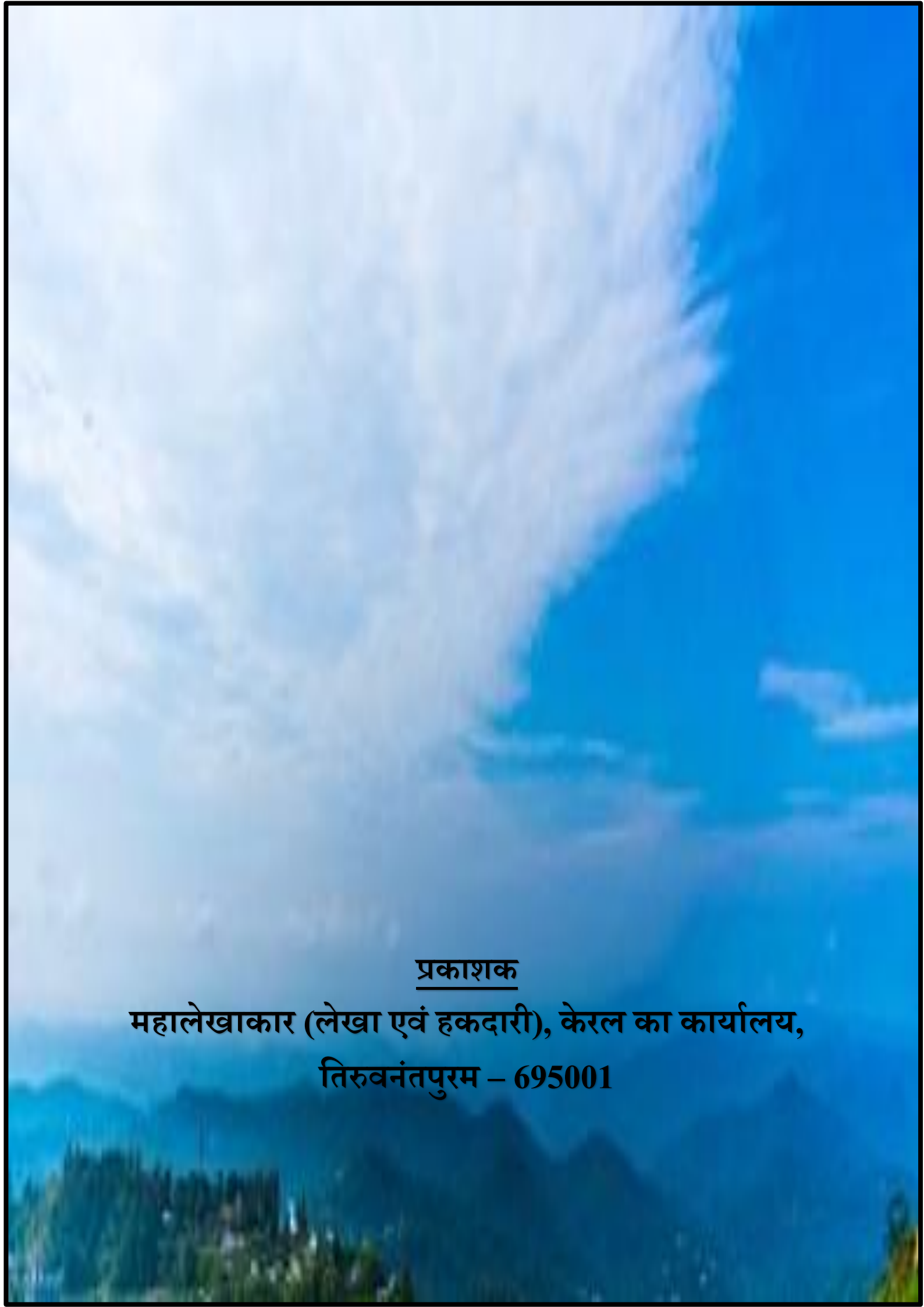

प्रकाशक

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का कार्यालय,

तिरुवनंतपुरम – 695001